राजस्थान विधान सभा

५७ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक-१६ अगस्त, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८-०८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १४५७

जयसमन्द के आर. सी. एल. को ठीक करना

श्री सोहनलाल भटनागर-Will the Minister for P.W.D. bebe pleased to state:-

(a) Since when has the R. C. L. at Jaisamand become unfit for use ?

(b) Is the Government aware that the visitors are facing great inconvenience due to non-availability of the R. C. L. ?

(c) Will the Government make provision for early repair of the R. C. L. ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(ए) पिछले ६ वर्षों से यह आर. सी. एल. धूम्रपोत सेवा के योग्य नहीं है ।

(बी) जी हां, हो सकती है ।

(सी) यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—यह कब तक हो जायगा ।

श्री भोगीलाल पंड्या—असेसमेंट ले लिया गया है । आशा है इस वर्ष तक ठीक व्यवस्था हो जायगी ।

श्री सोहनलाल भटनागर—यह बन्द किस तारीख से हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब डेढ़ साल से।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह धूम्रपोत किस काम आता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह एक पोत है जो जयसमुद्र में डाला गया है और जिस पर लोग सैर किया करते हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—आर. सी. एल. का क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष—यह धूम्रपोत का एब्रीवियेशन है।

प्रश्न सं० १४५८

मादला [त० नोखा] का बर्खास्तशुदा पटवारी

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नोखा तहसील हल्का मादला में एक बर्खास्तशुदा पटवारी है?

(ख) क्या यह सही है कि वह सैटलमेंट बीकानेर से ही बर्खास्त हुआ था?

(ग) क्या सरकार बर्खास्तशुदा लोगों को वापिस जगह देती है?

(घ) अगर हां, तो बर्खास्त क्यों किया जाता है? अगर नहीं, तो उसे क्यों लगाया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) और (ख) तहसील नोखा के एक पटवारी के बर्खास्तशुदा होने की सूचना सरकार के पास नहीं है। जिलाधीश को इसकी जांच के लिये कहा गया है और अगर यह बात सही हुई तो दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री प्रभुदयाल—यह जांच कब तक समाप्त हो जावेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—कलेक्टर को वहां पर लिखा गया है। वहां से वापिस सूचना आते ही उचित कार्यवाही हो जावेगी।

श्री प्रभुदयाल—ऐसे और कितने पटवारियों को नियुक्त किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक भी नहीं, मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं।

श्री प्रभुदयाल—किसी भी पटवारी की नियुक्ति करने से पहले उसकी पुरानी जानकारी की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री प्रभुदयाल—क्या इस पटवारी के सिलसिले में यह जानकारी की गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, की गई होगी और अगर ऐसी बात होगी तो उचित दण्ड दोषी को मिलेगा।

श्री प्रभुदयाल—मैं प्रश्न करता हूँ कि ऐसी जांच इस मामले में की गई थी या नहीं की गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—की गई थी।

श्री प्रभुदयाल—इसका नतीजा क्या मिला ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मिला कि नौकरी दी गई उसको।

(हंसी)

श्री प्रभुदयाल—मैं तो यह पुरानी जानकारी के विषय में पूछ रहा हूं कि उसको नौकरी पर रखने से पहले उसकी पुरानी जानकारी के बारे में सरकार को क्या मालूम हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले बता चुका हूं कि नौकरी देने के लिए जो पूर्व जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है वह कर ली गई थी। इसमें अगर उसने अपनी पुरानी ज़ानकारी के विषय में सरकार को झूठी रिपोर्ट दी है, और भी किसी ने झूठी ताईद की है तो दोषी को सजा मिलेगी।

श्री प्रभुदयाल—उसने पहले कोई सर्विस की ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री प्रभुदयाल—एक प्रश्न और है साहब। क्या यह सही है कि वह पहले सर्विस से बरखास्त हो चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी जानकारी की जा रही है और जब मालूम होगी तो आपको सूचना दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १४५६

राजस्थान में सीमेंट के कारखानों पर रोयल्टी की आय

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के कितने कारखाने हैं ?

(२) उनसे रॉयल्टी किस हिसाब से ली जाती है ?

(३) ५३-५४ के वर्ष में रॉयल्टी से सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)—(१) राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के दो कारखाने हैं। एक तो लाखेरी (बूंदी डिस्ट्रिक्ट) में व दूसरा सवाई माधोपुर में है।

(२) लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स में जो सीमेन्ट तैयार होता है उस पर तीन आना फी टन रॉयल्टी वसूल होती है। शरायतनामे के अनुसार जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर से कोई रॉयल्टी वसूल नहीं होती।

(३) सन् ५३-५४ के वर्ष में ६६,६६६।५।६ लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स की रॉयल्टी की आमदनी हुई है। जयपुर उद्योग लिमिटेड से रॉयल्टी जमा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—यह दूसरा कारखाना सवाई माधोपुर में है या माधोपुर में ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सवाई माधोपुर में।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह जयपुर उद्योग कितने दिनों के लिए रॉयल्टी देने से महरूम रहेगा ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरा ऐसा ख्याल है कि १५ वर्ष तो होंगे शायद।

Page No.5

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—सरकार जो जवाब देती है 'शायद' में नहीं देती है। अगर उनको मालूम नहीं होता तो वे यह कह सकते हैं कि इस समय उपलब्ध नहीं है। आपको मालूम नहीं है तो कह दीजिये कि मालूम नहीं है।

श्री नरसिंह कछवाहा—मैं अन्दाज़न बता रहा हूँ।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—'अन्दाज़न' नहीं, आप यह बताइये कितने साल के लिये यह है?

श्री नरसिंह कछवाहा—एग्रीमेन्ट मेरे सामने नहीं है।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—जब सवाल उठाया गया तो पूरी जानकारी आपको देनी चाहिये।

श्री नरसिंह कछवाहा—यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता?

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—कैसे सम्बन्ध नहीं रखता?

श्री नरसिंह कछवाहा—एग्रीमेंट की लम्बी लम्बी शर्तें हैं, कानूनी बातें हैं; उनको कोरा पढ़ने ही पढ़ने में पन्द्रह बीस मिनिट लग सकते हैं।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—सारे शर्तनामें की लिस्ट का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो रॉयल्टी माफी में की गई है वह कितने अरसे तक की गई है?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह प्रश्न इर्रिलेवेंन्ट है इस वास्ते अलग से आप पूछें तो बाद में शर्तनामे को देख कर जवाब दिया जा सकता है।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—इर्रिलेवेन्ट कैसे हो सकता है? आपने अपने उत्तर में बताया कि रॉयल्टी माफ की गई है। तो अगर यह सवाल किया जाता है कि कितने अरसे तक माफी की गई है तो यह तो पूरी तरह से रिलेवेन्ट बन जाता है। तो इसलिए आप बताइये कि कितने अर्से तक यह माफी दी गई है और अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऐसा बताइये कि जानकारी नहीं है।

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे सामने एग्रीमेंट नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १४६०

डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर, सवाई माधोपुर के पास कुछ व्यक्तियों का वेतन अमानत के रूप में जमा

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफीसर, सवाई माधोपुर के यहां किन किन व्यक्तियों के कितने २ रुपये तनख्वाह के अमानत जमा हैं ?

(ख) उक्त रकम कब से जमा है और वापिस नहीं लौटाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) कुछ जमा नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जमनालाल कम्पाउन्डर की तनख्वाह के रुपये जमा हैं कई दिनों से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। ऐसा मालूम नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय फिर से यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि आया जमनालाल की तनख्वाह के रुपये जमा हैं कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। किसी जमनालाल का कोई रुपया जमा नहीं है। अलबत्ता किसी मदनमोहनलाल नाम के व्यक्ति का कुछ रुपया जमा है, जिसको अब मृत्यु हो गई है। उसका इम्प्रैस्ट का रुपया बचा है। एक ही यह केस ऐसा निकला है और किसी का रुपया जमा नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जमनालाल का रुपया अगर वहां जमा हुआ कागजों में मिल जावे तो क्या माननीय मन्त्री महोदय सम्बन्धित अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को तैयार हैं और दोषी को सजा भी देने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हमारी जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है, पर अगर माननीय सदस्य यह एक नई जानकारी दे रहे हैं तो इसके अनुसार फिर जांच की जावेगी और अगर आपकी जानकारी सही मिली तो रुपया उसको दे दिया जावेगा।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—पर जो गलत जवाब देने वाले हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? उनके खिलाफ कोई एक्शन आप लेंगे या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४६१

वेटरनरी डिस्पेंसरीज़ को बजट की मंजूरशुदा रकम के अनुसार दवाइयां देना

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि वेटरनरी डिस्पेन्सरीज़ को बजट की मन्जूरशुदा रकम के अनुसार दवाइयां नहीं दी जा रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) पिछले ४ वर्षों में किस किस डिस्पेन्सरी के लिए कितने कितने रुपये स्वीकृत किये गये और कितने कितने मूल्य की दवाइयां दी गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा— (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) पिछले चार वर्षों में डिस्पेन्सरियों के लिए दवाइयों के बजट में स्वीकृत रकम के आंकड़ों का नक्शा सदन की मेज पर रख दिया गया है। व्यय के अस्पतालवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में भेजा गया)

श्री चांदमल मेहता—ये दवाइयां कहां से ली जाती हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जहां से ये मिलती हैं।

(हंसी)

Page No.8

श्री चांदमल मेहता—ये दवाइयां डिस्पेन्सरीज़ वाला खरीदता है या किसी एक स्थान से उनको सप्लाई होती हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसके लिये जो डीलर होते हैं उनसे टेन्डर मांगे जाते हैं, और फिर उनको आज्ञा दी जाती है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार दवाइयां खरीद लें।

श्री चांदमल मेहता—तो स्वीकृत बजट के माफिक खरीदी गई दवाइयों को उन डिस्पेन्सरियों में दर्ज किया गया है या नहीं, क्या इसकी जांच कर ली गई है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैं अपने जवाब में कह चुका हूँ कि बजट में जितनी रकम रक्खी गई है, उसकी दवाइयां खरीद ली गई हैं और वे डिस्पेन्सरियों में पहुँचा दी हैं।

श्री चांदमल मेहता—पहुँचा चुके हैं यह तो ठीक है, पर मैं यह पूछता हूँ कि जो दवाइयां खरीदी गई हैं वे वहां के कागजों में जमा भी हैं या नहीं, अथवा कहीं बीच में ही गड़बड़ हो गई है ? यह जानकारी आप दें।

श्री नरसिंह कछवाहा—यही तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि जब दवाइयां खरीदी गई हैं तो कागजों में जमा की गई होंगी। उन्हें कागजों में जमा किया करते हैं और इसमें भी की गई होंगी।

प्रश्न संख्या १४६२

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १४६३

राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में सीमेंट का आयात--निर्यात

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पिछले पांच वर्ष में सीमेन्ट का उत्पादन प्रति वर्ष कितना कितना रहा ?

Page No.9

[श्री चांदमल मेहता]

(२) राजस्थान में बनाई हुई सीमेन्ट पांच वर्षों में कितनी बाहर भेजी गई ?

(३) पिछले पांच वर्षों में कितनी सीमेन्ट राजस्थान में बाहर से मंगाई गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा – (१) राजस्थान में सीमेन्ट उत्पादन के आंकड़े कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट, १९५३ की क्लॉज़ ७ के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से नहीं दिये जा सकते।

(२) सीमेन्ट के आयात के पिछले ४ वर्षों के आंकड़े ही उपलब्ध हैं जो नीचे लिखे अनुसार हैं :

सन् १९५०-५१ में	३,२५,२५५ मन
सन् १९५१-५२ में	१,७८,६७४ मन
सन् १९५२-५३ में	१,७९,९३० मन
सन् १९५३-५४ में	३,३९,२७८ मन

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान में सीमेन्ट का उत्पादन राजस्थान की आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह तो बात ठीक ही है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—तो सरकार इस उत्पादन को बढ़ाने के लिये आगे क्या योजना रखती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—अब तो सवाई माधोपुर की फैक्टरी की वजह से राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन बढ़ने से पूर्ति हो जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में सीमेन्ट के दो कारखाने हैं, फिर बाहर से मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल है और अलोटमेन्ट वहीं से होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान में सीमेन्ट के लिये आवश्यक रॉ-मैटीरियल काफी मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी यहां सीमेन्ट का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--वह तो जैसी मशीनरी लगाई है वैसी ही उत्पादन की क्षमता होगी। ज्यादा मशीनरी लगाएंगे तो ज्यादा होगी।

श्री चांदमल मेहता--मैं यह पूछ रहा हूं, कि आगे इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या योजना रखती है।

श्री नरसिंह कछवाहा—प्रोत्साहन के लिये तो यह है, कि और मिल लगाने वाले सामने आवे तो उनको मौका दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान में कहां कहां सीमेन्ट के लिए रॉमेटीरियल उपलब्ध हो सकता, है क्या इस संबन्ध में सरकार द्वारा सर्वे कराई जा चुकी है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सर्वे हो चुका है।

श्री धर्मपाल—ये मशीनरियां कहां कहां लगाई गई हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—लाखेरी और सवाई माधोपुर में।

श्री जसवन्तसिंह—अगर उद्योगपति इस ओर आगे नहीं बढ़ें तो क्या सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसा कोई इरादा सरकार का नहीं है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उद्योगों पर लगाई जाने वाली रॉयल्टी इस उद्योग को बढ़ाने में बाधक है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सवाई माधोपुर में तो कोई रॉयल्टी भी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—आइन्दा कोई उद्योग चालू हो और तब उस पर रायल्टी लगाई जाय तो इससे क्या उत्पादन में बाधा नहीं होती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे ख्याल से रॉयल्टी इतनी नहीं है कि जिससे कोई अड़चन पैदा हो।

Page No.11

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बिना रायल्टी के, इसके लिए और इजाजत देने को तैयार है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह बात तो ठीक नहीं मालूम पड़ती।

(जोर से हंसी)

श्री चांदमल मेहता—यह रायल्टी जो है, वह उत्पादन में खास बाधक है क्या यह सरकार अनुभव नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष—Same Question over and over again.

Next.

प्रश्न संख्या १४६४

कृषि विभाग द्वारा प्रयोग के लिए उत्पादित फल, साग, भाजी इत्यादि का बाजार में विक्रय

श्री भोपालसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कृषि विभाग द्वारा फल, साग, भाजी वगैरह एक्सपेरिमेंट्स के लिये उगाये जाते हैं या लाभ (मुनाफा) उठाने के लिये ?

(ख) क्या इन फल, साग एवं भाजी को बेचने के लिये कोई बाजार में दुकान सरकार ने खोल रखी है ?

(ग) अगर दुकान खोल रखी है तो कहां कहां और कब से और दुकानों का क्या २ किराया माहवार दिया जाता है ?

(घ) साग, सब्जी, फल वगैरह फार्म से बटोरकर दुकान तक पहुँचाने में और दुकान पर बेचने में स्टाफ, मजदूरी वगैरह पर माहवारी क्या खर्च होता है और माल बेचने पर माहवारी माल की क्या कीमत आती है, इससे नफा या नुकसान कितना है ?

(ङ) क्या सरकार बतला सकती है कि इन फार्मों पर क्या खर्च होता है और क्या आमदनी होती है ?

(च) क्या सरकार को साल ब साल घाटा उठाना पड़ता है ? अगर हाँ, तो कितना ?

(छ) यदि कोई जनता का फार्म सरकार के लिये कई एक्सपेरिमेन्टल चीजें तैयार करने को हो तो क्या सरकार अपनी तरफ से उसको इमदाद देकर रेट्स मुकर्रर कर बीज पौधे लेने को तैयार है ?

श्री भोगीलाल पन्डया—(नागरिक रसद विभाग मंत्री, कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में)

(क) कृषि विभाग के बागों में फल, साग, भाजी का उत्पादन एक्सपेरीमेंट व मुनाफे दोनों को ध्यान रखते हुए किया जाता है।

(ख) हां।

(ग) मिर्जा इस्माइल रोड पर ता० १.११.१९५३ से। उसका किराया ७५) रू० माहवार था।

(घ) स्टाफ व मुतफर्रिक खर्चा ६०) रु० माहवार व लगभग ३०० रू० से १००० रू० तक माहवार की बिक्री। पहिले नफा हुआ था, बाद में फलों व सब्जी की कमी से घाटा होने लगा तब दूकान बन्द कर दी गई। यह दूकान एक्सपेरीमेंट के तौर पर खोली गई थी।

(ङ) नहीं।

(च) जयपुर के दोनों फलों के बागों के खर्च व आमदनी की ब्यौरा इस प्रकार है—

दुर्गापुरा	७२६६ रु० आमदनी	और १६,४७६ रु० खर्च।
नलाबाग	३०३१ रु० आमदनी	और ४,२६६ रु० खर्च।

(छ) हां। फलों के बागों पर शुरू के पांच या ६ सालों में घाटा अनिवार्य है।

(ज) सरकार ऐसा प्रस्ताव आने पर विचार करेगी।

श्री जवानसिंह—इस घाटे को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसको ?

श्री जवानसिंह—घाटे को रोकने के लिए।

श्री भोगीलाल पंड्या—घाटे को रोकने की क्या बात है, उसको सरकार बर्दाश्त करती है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सभी फार्मों के संबंध में माना जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बागों में निश्चित ऐसा करते हैं। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि ५-६ साल तक फल नहीं आते हैं तो घाटा होना अनिवार्य है ही। बाद में वह सेल्फ सपोर्टिंग हो जाते

[श्री भोगीलाल पंड्या]

हैं। दूसरी बातें ऐसी हैं कि इनसे कई तरह के लाभ होते हैं तो थोड़ा बहुत घाटा हो तो सही हो सकता है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि सभी फार्मों पर फलों के वृक्ष लगाये गये हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है क्योंकि वे एक्सपेरीमेंटल फार्म होते हैं सबको बताने के लिए एक आदर्श फार्म होते हैं। इसलिए उन पर घाटा भी हो सकता है।

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब दें कि सभी फार्मों पर फलों के वृक्ष लगाते हैं?

श्री पंड्या—नहीं, कुछ फार्म ऐसे हैं, जहां खेती के लिए कुछ किया जाता है, कहीं सब्जी की जाती है तो कहीं फल के लिए फार्म होते हैं। फल के लिए जहां फार्म होते हैं, वहीं फल लगाते हैं।

श्री जवानसिंह—जहां फल के वृक्ष लगाये जाते हैं वहां घाटा होता है, लेकिन जहां फल के वृक्ष नहीं हैं वहां घाटे को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों को अच्छे बीज और अच्छे खाद का प्रयोग सिखलाने के लिए पहले पहले लगाना होता है जो कि नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वह खर्चा किसानों पर डाला जायेगा तो उनका, उन पर से विश्वास उठ जायगा इसलिए गवर्नमेंट को घाटा बर्दाश्त करने की इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है।

श्री जवानसिंह—फार्म में पीने के लिये पानी तक तो है नहीं, और सरकार घाटे की व्यवस्था करती है।

श्री अध्यक्ष—This is a specific question.

श्री हिम्मतसिंह—क्या डालियां जाती हैं, इस सबब से तो घाटा नहीं होता?

श्री भोगीलाल पंड्या—डालियां तो मैं जानता हूं कि पहले के सरकारी कर्मचारियों को जाया करती थीं, जो कि अब बन्द कर दी गई हैं।

प्रश्न संख्या १४६५

अरांई तहसील के गांवों में सिंचाई चार्जेज की वसूली

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.14

[श्री चांदमल मेहता]

(क) अराई तहसील के किन किन गांवों में सिंचाई चार्जेज वसूल किये जाते हैं ?

(ख) उक्त चार्जेज सेटलमेंट होने के बाद किस किस साल में वसूल किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में) (क) अराई तहसील में ग्राम 'झीरोता' और 'दाधिदया' में सिंचाई चार्जेज वसूल किये जाते हैं।

(ख) उक्त चार्जेज सं० २००५ से सं० २००६ तक वसूल किये गये।

श्री **चांदमल मेहता**—अराई तहसील में सिर्फ दो गांवों में सिंचाई चार्जेज वसूल होने का क्या कारण है ?

भोगीलाल पंड्या – पहले से ऐसी व्यवस्था चली आती थी, यही कारण है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या पहले से, सेटिलमेंट से पहले की व्यवस्था से, माननीय मन्त्री महोदय का मतलब है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** – मैं सुन नहीं पाया हूं क्या कहा।

श्री **चांदमल मेहता**—पहले से व्यवस्था चली आ रही है, इसका मतलब क्या यह है कि राजस्थान के निर्माण से पहले से या सेटिलमेंट के होने के पहले से ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सेटिलमेंट होने के पहले से।

श्री **चांदमल मेहता**—तो अराई तहसील में जिन गांवों में सेटिलमेंट होने के पहले सिंचाई चार्जेज वसूल होते थे, लेकिन सेटिलमेंट रेट में सिंचाई चार्जेज के शामिल होने की वजह से वसूली बंद कर दी गई है और इन दो गांवों में बन्द नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—इनके लिए भी सेटिलमेंट कमिश्नर को लिख दिया है। मेरे माननीय मित्र को विश्वास रखना चाहिए कि वह वहां भी बन्द हो जायगी।

प्रश्न सं० १४६६

महाराजा आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल के स्टाफ तथा इण्डस्ट्रियल टेक्निकल पोस्टों का फिक्सेशन।

श्री **हरिशंकर शास्त्री**—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री हरिशंकर शास्त्री]

(क) महाराजा आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल के स्टाफ तथा इन्डस्ट्रियल टेक्निकल पोस्टों का फिक्सेशन कब तक होगा ?

(ख) अब तक नहीं होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या अब आशा की जावे कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ?

श्री नरसिंह कछवाहा—(क) और (ख) उद्योग व व्यवसाय विभाग के टेक्निकल श्रेणी के पदों में से ४६ पदों के लिये नवीन वेतन श्रंखला अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अतः उक्त कर्मचारी वर्ग का फिक्सेशन नहीं हो सका है और वे पुरानी दरों से ही वेतन पा रहे हैं।

(ग) अवश्य ।

श्री हरिशंकर शास्त्री—कब तक हो जायगा ? इसकी कोई अवधि भी है, ३-४ साल में ?

श्री नरसिंह कछवाहा—अभी कोई अवधि नहीं दी जा सकती है ।

श्री हरिशंकर शास्त्री—किस बेसिस पर होगा ?

श्री अध्यक्ष—किस आधार पर होगा ?

श्री नरसिंह कछवाहा—आधार की जांच होकर बताया जा सकता है ।

श्री हरिशंकर शास्त्री—अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जल्दी से जल्दी हो जायगी। (हंसी)

श्री हरिशंकर शास्त्री—क्या उत्तर दिया आपने ? जल्दी से जल्दी की क्या अवधि है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जल्दी से जल्दी की यह बात है कि जब प्रकाशित हो जायगा तो लागू हो जायगा ।

श्री हरिशंकर शास्त्री—अब तक की क्या प्रोग्रेस है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संo १४६७-

उदयपुर जिले में पिछले वर्ष अकाल-कार्य में काम करने वाले मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Revenue Minister be pleased to answer

(a) What amount remains unpaid to the labourers who had worked during famine operations of last year in Udaipur District ?

(b) Will the Governmment make payments as early as possible?

श्री भोगीलाल पंड्या—(राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में) (१) गत वर्ष जिला उदयपुर में सहायता कार्यों पर लगाये गये मजदूरों का ५, १९४ रुपया ७ आने चुकाना बाकी है ।

(२) जी हां ।

श्री सोहनलाल भटनागर—इतने लम्बे अरसे तक क्यों नहीं चुकाया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बात यह थी कि इन लोगों के लिए पहले मक्का मंगाई गई थी । वह मक्का लेकर जब उन्हें देने के लिए हुआ तो उनको और कहीं से सस्ती मक्का मिलने लगी । मक्का व्यापारियों ने देना शुरू किया और इसलिए उन्होंने मक्का नहीं ली ।

श्री सोहनलाल भटनागर—मक्का की उन लोगों ने मांग की थी या सरकार ने जबरदस्ती उनको मक्का देना चाहा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जबरदस्ती क्यों देने लगी । वहां के भील मजदूरों ने मक्का की मांग की थी तो सरकार ने देने का प्रयत्न किया । जबरदस्ती तो सरकार नहीं दे सकती है । उन्होंने नहीं ली तो मक्का पड़ी रही और साल खत्म होगया और रुपया लेप्स होगया अब अगले साल में दे रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि लोगों को मक्का जबरदस्ती दी गई थी, जब कि भाव बहुत कम हो गये थे ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मक्का दी गई होती तो यह प्रश्न ही नहीं आता । लोगों को समझाकर दी गई थी । इसमें कोई शक नहीं ।

प्रश्न सं० १४६८

पिछले वर्ष अकाल के समय प्रारंभ किए गए अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Revenue Minister be pleased to state—

(a) Did the Revenue Minister give assurance to make provisions for the completion of incomplete works which were taken up during famine operations of last year ?

(b) Has this assurance been fulfiled ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) सहायता के लिए चलाये गये, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(२) सहायता के लिए चलाये गये अधूरे कार्यों की सूचियां मंगाई गई है । सब स्थानों से आ जाने पर सरकार इस विषय पर विचार करेगी ।

श्री सोहनलाल भटनागर—यह कार्य कब बन्द हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अकाल समाप्त हुआ जब ।

प्रश्न सं १४६९

हादिया ग्राम के तालाब धनसागर की आव पर चालू वर्ष में व्यय किया गया रुपया

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) हादिया ग्राम के तालाब धनसागर की आव पर चालू वर्ष में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ख) उक्त काम ठेके में कराया गया या अमानी में ?

(ग) यदि ठेके में कराया गया तो किस रेट पर ?

(घ) क्या यह सही है कि मिट्टी नहर के अन्दर से नहीं निकाल कर बाहर से निकाली गई ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ङ) मिट्टी बाहर से निकालने की क्या रेट है और अन्दर से निकालने की क्या रेट है ?

(च) ठेकेदार को कितनी रकम जा चुकी है और कितनी देना बाकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हादिया ग्राम में तालाब धनसागर के आव के लिए चालू वर्ष में १७०१) रु खर्च किया गया है ।

(ख) ठेके में कराया गया है ।

(ग) सरकारी मन्जूरी हुई, शिड्यूल रेट पर ।

(घ) मिट्टी आवे के अन्दर और बाहर दोनों तरफ से खोदकर डाली गई है ।

(ङ) मिट्टी बाहर से निकालने में २० रु. फी हजार क्युबिक फीट और अन्दर से निकालने में १६ रु. फी हजार क्युबिक फीट की रेट है ।

(च) ठेकेदार को १५४२ रु. तो दिया जा चुका है और शेष १५६) रु. देने बाकी हैं ।

श्री चांदमल मेहता—शिड्यूल रेट क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया था कि २० रु. और १६ रु. ।

श्री चांदमल मेहता—मिट्टी बाहर से निकालने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसलिए कि नहर के अन्दर मिट्टी निकालने से नहर गहरी हो जाती है और पानी जाने में दिक्कत होती है । इसीलिए वहां के अनुभवी लोगों ने यह बताया था कि अन्दर से मिट्टी नहीं निकाली जाय बल्कि मिट्टी बाहर से निकाली जाय ।

श्री चांदमल मेहता—वह अनुभवी लोग कौन थे और कहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग पाये हुए थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां टेक्निकल स्कूल्स होंगे वहीं पर, या अपने डिपार्टमेंट में उनको शिक्षा मिलती होगी ।

श्री चांदमल मेहता—इस संबंध में टेक्निकल ऑफिसर कौन था, जिसने यह सलाह दी थी कि यह मिट्टी अन्दर से नहीं निकालें, बाहर से निकालें ?

Page No.19

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह अलग से प्रश्न किया जाय तो, नाम, पता, नंबर वगैरह की जानकारी आपको बताई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ठेकेदार को नाज़ायज फायदा देने की दृष्टि से अन्दर की मिट्टी नही निकालकर बाहर की मिट्टी निकाली ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नाज़ायज फायदा कैसे है ? माननीय सदस्य यह भूले हुए हैं कि अन्दर की एक रेट है और बाहर की दूसरी। बाहर वाली रेट २० रु० और अन्दरवाली रेट १६रु० है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि अन्दर की रेट १६ रू थी और बाहर की रेट २० रु० है और २० रु० देने की दृष्टि से ही यह मिट्टी बाहर से निकलवाई गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, अन्दर के १६ रु० हैं तो महनत कम करनी पड़ती है और बाहर के २०रु० देते हैं तो महनत ज्यादा करनी पड़ती है इसीलिए कोई नाज़ायज लाभ देने की बात नहीं है। नहर के अन्दर खुदाई होती तो नहर खराब हो जाती, इसीलिए बाहर से मिट्टी निकाली गई।

श्री चांदमल मेहता—नहर के अन्दर से मिट्टी निकालने से नहर खराब नहीं होती है बल्कि ज्यादा अच्छी होती।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय मित्र को यह मालूम है कि कुआ कर दें या खड्डा हो जावेगा तो पानी आगे नहीं जायगा। पानी के लेवल को देखना पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाने को तैयार हैं कि आया इस तरह से बाहर मिट्टी निकलवाने का कारण केवल एक मात्र ठेकेदार को फायदा पहुँचाना है।

श्री अध्यक्ष—Next question. The only question was about the expert and when the Government says that the expert's advice was taken, the question finishes. You (Shri Mehta) challenge the expert's opinion ?

श्री चांदमल मेहता—यह एक्सपर्ट ओपीनियन वास्तव में नहीं है। यह सिर्फ उत्तर देने की बात है।

श्री अध्यक्ष—It is strange. The Hon'ble Member has put his view point both ways.

श्री संतोषसिंह—क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि अन्दर और बाहर मिट्टी निकालने का सवाल है, उस बारे में बाहर की मिट्टी इसलिये निकाली जाती है कि जिससे उस मिट्टी को किसानों के खेतों में डाल कर उनको तकलीफ पहुँचाई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यहां किसानों और खेती का कोई प्रश्न ही नहीं है, आप किस की बात कर रहे हैं ?

प्रश्न संख्या १४७० एवं १४७१

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४७२

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न के उत्तर के ऑर्डर में कुछ अदला बदली हो गई है, इसलिये अगले प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे देता हूँ । इसका उत्तर, उसके बाद में दे दूंगा ।

प्रश्न संख्या १४७३

ग्राम मेली (त० सिवाणा) के बंध की भूमि धनाढ्य जमींदार को दी जाने सम्बन्धी

श्री मोटाराम चौधरी—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील सिवाणा में गांव मेली के बन्ध में जो १०-१० वर्षों के पुराने गैर---बापीदार गरीब काश्तकार खसरा नम्बर १२८ में ४-४, ५-५ बीघा कसार जमीन में काश्त करते थे उनको छोड़ कर ता. ११.७.५४ को, दूसरे मालदार जमींदार को, जिसके पास पहले ही २०० बीघा जमीन है नीलाम करके दे दी ?

(ख) मेली के बन्ध के अन्दर कुल कितने बीघा कसार जमीन व कसरा नम्बर है ?

(ग) इस बन्ध के अन्दर की कसार जमीन अभी तक किन किन नम्बर की नीलाम करदी है और किन किन नम्बर की नीलाम करनी अभी बाकी है ?

(घ) इस बन्ध के अन्दर की जमीन को पुराने गरीब काश्तकारों को छुड़ा कर क्यों नीलाम की गई ?

Page No.21

[श्री मोटाराम चौधरी]

(ङ) क्या इन काश्तकारों को, जिन्होंने जमीन को उपजाऊ बना कर खेत के शक्ल की बनाई उनको मुआवजा दिया जायगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) क्या सरकार इन जमीनों को नीलाम न किये जाने की आज्ञा जारी करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) ऐसी भूमि कभी भी खापी नहीं दी जाती। मालदार जमींदार को कसार भूमि नीलाम में दी जाने के सम्बन्ध में जांच कराई गई है।

(ख) (ग) (घ) इनकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) गैर खापीदारों को इंप्रूवमेन्ट बिना इजाजत करने का हक नहीं है, इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मोटाराम—ऐसे १०-१० साल पुराने काश्तकार थे, जिनको बेदखल कराया गया, क्या यह बात सरकार को मालूम नहीं थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा है कि चाहे १० साल का काश्तकार हो या ५ साल का काश्तकार हो, जो नियम होता है उसके मुताबिक करना पड़ता है।

श्री मोटाराम—वह जमीन मालदारों को नीलाम की गई है और पचासों आदमियों को बेदखल किया गया है। उनकी क्या हालत होगी, जिनके पास अब जमीन नहीं रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर किसी को नीलाम की गई है तो उसकी जांच की जा रही है, यह बात मैंने अपने उत्तर में पहले ही कह दी थी।

श्री मोटाराम—क्या वह जमीन वापिस काश्तकारों को देंगे या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच का जो परिणाम आयगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री मोटाराम—जिन काश्तकारों ने रिपोर्ट दी है उस पर क्या कदम उठाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ कि जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने पर कुछ किया जायगा।

श्री मोटाराम—कब तक जांच कर लेंगे ?

Page No.22

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच के लिये कागज भेज दिये हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट आ जायेगी।

प्रश्न संख्या १४७२

जिला चूरू में राजगढ़ से तारानगर की सड़क का जीर्णोद्धार

श्री प्रभुदयाल—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चूरू में राजगढ़ से तारानगर तक जो सड़क करीब १२ साल पहले बनी थी, क्या वह आवागमन के काबिल रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो सरकार उसकी मरम्मत करवाने के विषय में क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक ?

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का जीर्णोद्धार एवं टारिंग का प्रोविजन रखा गया है ? क्या जिला चूरू में अन्यत्र नई सड़कों के निर्माण के विषय में भी सरकार ने कोई योजना बनाई है यदि हां, तो कहां ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां, आवागमन के काबिल है।

(ख) आवागमन के योग्य होते हुए भी मरम्मत की आवश्यकता है और साधारण जीर्णोद्धार तो मरम्मत फंड के मुताबिक कर दिया जाता है और इस साल स्पेशल मरम्मत के लिये १३,८५० रु० और रखे गये हैं।

(ग) (१) पंचवर्षीय योजना में जीर्णोद्धार के कार्य नहीं लिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार के रक्षा विभाग से इस विषय में लिखा पढ़ी अवश्य हो रही है और आशा है, वहां से शीघ्र द्रव्य मिल जायगा।

(२) चूरू जिले में रिवाइज्ड पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नई सड़कें मंजूर की जा चुकी हैं :

(१) चूरू भलेरी सड़क (२) तारानगर साहबा सड़क १८ मील (३) सरदार शहर परूल रोड १० मील (४) रतनगढ़ टाउन एप्रोच रोड (५) सरदार शहर रेलवे स्टेशन से टाउन तक एप्रोच रोड (६) डूंगरगढ़ से तोलियासर ग्रेवल रोड (७) लालगढ़ से कातर की ग्रेवल रोड (८) देवलसर से थेलासर की ग्रेवल रोड (९) चूरू झुन्झुनू रोड।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या यह रकम जो सड़कों की मरम्मत के लिए रखी जाती है हर साल लेप्स हो जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लेप्स होने की बात नहीं है। मामूली मरम्मत में खर्च करने के लिए जो रकम मंजूर की जाती है वह मामूली मरम्मत में खर्च हो जाती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या कृपा करके यह बतायेंगे कि पिछले साल जो इस प्रकार की रकम रखी गई थी, उसमें से कितनी खर्च हुई और कितनी लेप्स हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग प्रश्न पूछिये, मैं जानकारी प्राप्त करके हरेक का उत्तर अलग अलग दूंगा।

श्री प्रभूदयाल—प्रश्न के (क) भाग में मंत्रीजी ने बताया कि सड़क आवागमन के काबिल है, क्या मंत्रीजी इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच कराई गई तभी तो उत्तर दिया गया है। यह माना है कि मरम्मत की अवश्य आवश्यकता है, लेकिन आवागमन बराबर जारी है।

श्री अध्यक्ष—The reply is very accommodating. It says, it is transportble as well as repairable.

श्री रामदयाल—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि यह सड़क कितने मील लंबी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बहुत लंबी सड़क है। माइलेज पूछने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली तक लंबी सड़क है।

श्री रामदयाल—इतनी लम्बी सड़क की मरम्मत के लिये १३००० रु० ही आपने कैसे रखे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस हिस्से के लिए कहा गया है उसके लिए १३ हजार रुपये ही काफी होंगे और कमी होगी तो अगले साल पूरी करदी जायगी।

श्री रामदयाल—पूरी सड़क की बात है तो १३ हजार रुपयों से क्या होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरा उत्तर सुना होता तो आपको पता चल जाता। मैं आपको स्पष्ट बता चुका हूं कि भारत सरकार के रक्षा विभाग से इस सड़क के लिए बातचीत हो रही है। वहां से अगर रुपये मिलेंगे तो पूरी सड़क की मरम्मत करवा दी जायगी।

प्रश्न संख्या १४७४

राजगढ़ (जि० चूरू) पेय जल की कमी के कारण-ट्यूब वेल खोदना

श्री प्रभुदयाल—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि राजगढ़ (जिला चूरू) में पीने के पानी के लिए जनता निरंतर कष्ट पा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

(ख) क्या यह सही है कि राजगढ़ के लिये एक ट्यूब वेल मंजूर हुआ है, जो राजस्थान अंडर ग्राउन्डरवाटर बोर्ड जोधपुर के संरक्षण में खोदा जाने को है ? यदि हां तो उस ट्यूब वेल के खोदे जाने में बिलम्ब क्यों है ?

(प्रश्न-संख्या १४७६ का उत्तर दिया गया)

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) पिछले ५ वर्षों में इसमें केवल ११ व्यक्ति ठहरे। जनता की तरफ से, इसको स्कूल के रूप में काम में लाने की मांग थी और उसके उपरान्त शिक्षा विभाग में इसके लिये आज्ञा हो चुकी है ।

श्री प्रभुदयाल—यह कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब आज्ञा हो चुकी है, तो लड़के बैठेंगे और तब से काम शुरू हो जायगा ।

प्रश्न संख्या १४७५

गत अकाल से पीड़ित सांचोर तहसील निवासियों को दी गई अकाल सहायता

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) गत अकाल ग्रसित सांचोर तहसीलवासियों को अकाल सहायतार्थ कितनी सरकारी रकम की मंजूरी दी गई थी ? उसमें से कितनी वास्तव में जन उपयोगी कार्यों में वहां की जनता पर खर्च की गई है और कितनी बिना खर्च हुए लेप्स हुई है ?

(ख) क्या अकाल सहायतार्थ कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो वापस कब प्रारम्भ किया जायगा ?

(ग) सेडवा से केरिया को बनाई जानेवाली सड़क कितने मील की अकाल सहायतार्थ विभाग द्वारा बनाई गई है ? उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है ? यह सड़क कब तक पूरी कर दी जायगी ?

[श्री मोहम्मदअब्दुल शादी]

(घ) इस तहसील में नालियों व तालाबों को गहरा खोदने के लिये तथा जनता को पानी की सुविधा देने के लिये कितना रुपया सरकार द्वारा मंजूर किया गया था, उसमें से कितना खर्च किया गया है तथा कितना लेप्स हुआ है ?

(ङ) क्या सरकार इस वर्ष भी कुछ रुपया इस विभाग द्वारा खर्च करने की सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)—(क) तहसील सांचोर के लिए अकाल सहायतार्थ ५३०० रुपये मंजूर किये गये थे, जिनमें से ३१२८ रुपये ३ आने खर्च हुए तथा २१७२ रुपये १३ आने बच रहे।

(ख) वर्षा होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया और अकाल स्थिति में सहायता कार्य फिर शुरू किये जायेंगे।

(ग) सेडवा केरिया सड़क पर अब तक ११,६३३ रुपया खर्च हुआ है। वह सड़क कब तक पूरी करदी जायगी, यह अभी निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता।

(घ) ऊपर दी गई रकम के अतिरिक्त कोई रकम मंजूर नहीं की गई।

(ङ) वर्षा व फसल की सही हालत मालूम होने पर विचार किया जावेगा।

श्री रामदयाल—जो रकम लेप्स होती है, क्या वह सरकारी अफसरों की गैर जिम्मेदारी के कारण होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें गैर जिम्मेदारी का कोई प्रश्न नहीं है। जब अकाल की स्थिति नहीं होती है तो रकम खर्च नहीं की जाती है।

श्री रामदयाल—वहां रहने वाले लोगों को इसलिये तकलीफ होती है कि सरकारी असफर उनको सहायता करने की ओर ध्यान नहीं देते, क्या यह सही नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के ध्यान में ऐसी बात नहीं आई है। माननीय मित्र के ध्यान में यदि ऐसी बात है तो बतावें।

श्री मोटाराम—क्या यह सही नहीं है कि अकाल के नाम पर जितनी रकम मंजूर की जाती है उसका चौथाई हिस्सा भी सरकारी अफसर खर्च नही करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री मोटाराम—क्या यह सही है कि सरकारी अफसर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार अफसर पैसा खर्च करना चाहते हैं फिर भी इसके लिये टेक्निकल राय की आवश्यकता होती है। यदि योंही मिट्टी डालदें तो पैसे व्यर्थ जायेंगे, इसलिये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि एडवाइज लेते लेते बजट लेप्स हो जाता है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—पहले ही से इसके लिये बजट सैंक्शन किया जाता हो ऐसी बात नहीं है इसके लिये तात्कालिक मंजूरी ली जाती है। रिलीफ मिनिस्टर आवश्यकता पड़ने पर मंजूरी मांगता है और तात्कालिक मंजूरी मिल जाती है।

श्री अब्दुल हादी—यह जो काम बन्द कराया गया है, इसकी क्या वजह है, ऐसी बात तो है नहीं कि लोगों की तकलीफें रफा हो गई हों।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—यह ठीक है, एक वर्ष अकाल के लिये जो रकम रखी थी वह ज्यादा है तो आयन्दा यह तो आशा नहीं की जाती कि फिर वर्षा कम होगी और अकाल सहायता कार्य फिर करना पड़ेगा। आशा तो यह की जाती है कि वर्षा अच्छी होगी और अच्छी फसल होगी। चौमासे में वैसे ही मजदूर और किसान अपने अपने खेतों पर काम करने जाते है इसलिये उनकी संख्या कम हो जाती है। इसलिये चौमासे में काम बन्द रखा जाता है।

श्री अब्दुल हादी—बारिश होने से तो बीज वगैरह के लिये लोगों को वैसे ही ज्यादा जरूरत रहती है, तो ऐसी सूरत में काम बन्द क्यों किया गया ?

श्री भोगीलाल पंडया—ठीक है, पैसे की आवश्यकता लोगों को रहती है, इससे मैं सहमत हूँ पर चौमासे में किसान खेतों पर लग जाते हैं और इसलिये मजदूरी पर नहीं आ सकते। बीज वगैरह के लिये सरकार तकावी देने आदि से सहायता करती है।

श्री अब्दुल हादी—अगर वहां की पब्लिक काम करना चाहे तो क्या सरकार काम शुरू करवाने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—बरसात के बाद में प्रश्न है ?

श्री पण्डया—मैं बता चुका हूं कि बरसात के बाद में फसल अच्छी हुई तो रिलीफ वर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १५७६

राजाखेड़ा (जि० धोलपुर) का विश्रामगृह

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजाखेड़ा, धोलपुर यूनिट में जो विश्रामगृह है, उसमें पिछले पांच वर्षों में कितने लोग अब तक ठहरे हैं ?

(ख) क्या सार्वजनिक कल्याण के हेतु उपरोक्त विश्राम गृह की मांग किसी विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां, तो किस सार्वजनिक कल्याण के हेतु और उस पर क्या विचार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में)

(क) पिछले पांच वर्षों में केवल ११ व्यक्ति ठहरे ।

(ख) जनता की तरफ से इस विश्राम गृह को स्कूल के रूप में काम में लाने की मांग थी और तदनुसार इसे शिक्षा कार्यालय को हस्तान्तरित करने की आज्ञा हो चुकी है ।

श्री हंसराज जटिया—वे आदमी सरकारी आदमी थे या जनता के आदमी थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके पास पैसे देने को थे वही थे ।

श्री हंसराज जटिया—क्या गेस्ट नहीं ठहर सकते ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना रुपया मुकर्रर है, उतना रुपया दें और ठहर जांय ।

श्री हंसराज जटिया—क्या चार्ज किया जाता है वहां ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स हैं, शिड्यूल्ड रेट्स के माफिक चार्ज किया जाता है ।

(एक माननीय सदस्य के और श्री हंसराज के साथ साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री हंसराज ।

श्री हंसराज जटिया—क्या सरकारी अफसरों से भी उतना ही लिया जाता है, जितना कि जनता के आदमियों से लिया जाता है ?

Page No.28

श्री भोगीलाल पंड्या—उतना लिया जाता है जितना कि शिड्यूल में दर्ज है।

श्री हंसराज जांटया—कितना है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो गजट में निकली हुई है।

प्रश्न संख्या १४७७

श्री अध्यक्ष—श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४७८

श्री धर्मपाल

(अनुपस्थित)

The Questions are now over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री अर्जुनसिंह, विभाजन संख्या ४ ने दिनांक १७ अगस्त, १९५४ से दिनांक २० अगस्त, सन् १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Legislative Business, Rajasthan Tenancy Bill. Clause 15. All the amendments have already been moved. **कौन से खण्ड को शुरू करेंगे ?**

(खण्ड १५)

एक माननीय सदस्य—१५ के प्रोविजो का रिलाई दे दें।

Page No.29

श्री अध्यक्ष—खण्ड १५ पर अगर और कोई सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री भोलानाथ—क्लॉज़ १५ की सब क्लॉज़ (१४) और (१५) जो हैं उनके ऊपर बहस हो गई थी, केवल फाइनल डिसीज़न पोस्टपोन किया गया था।

श्री अध्यक्ष—वे तो कह रहे है कि जनरल प्रोविजो पर बहस हो चुकी थी।

श्री जवानसिंह—आज भी क्या यह बात है कि क्लॉज़ १५ को पेन्डिंग रखा जाय ?

श्री भोलानाथ—आपकी राय हो तो रखा जा सकता है। कल भी आपकी राय थी कि रख दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ १४ को पोस्टपोन किया है और १४ का इस प्रोविजो से डाइरेक्ट सम्बन्ध है, तो फिर प्रोविजो तो वैसे ही पेन्डिंग रहना चाहिये।

श्री भोलानाथ—बहस तो जारी रहनी चाहिये। फाइनल डिसीज़न पोस्टपोन किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि कोई सदस्य इस पर बोलना नहीं चाहते।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने जब क्लॉज़ १४ पर कनवर्सेशन शुरू हुआ था उस वक्त भी निवेदन किया था कि इस खण्ड में उन टिनेन्ट्स का प्रोवीजन खातेदारी राइट्स में किया जावे, जो इस कानून के लागू होने के वक्त में टिनेन्ट की हैसियत रखते हैं। शुरू के खण्ड १४ के शब्द इस प्रकार हैं :

"Subject to the provisions of section 15, every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of..."and soon."

तो मेरा यह निवेदन है कि जहां पर खातेदारी टिनेन्ट्स हैं उनको टिनेन्ट्स के हक दिये गये हैं और इसमें कुछ एक्सेप्शन्स किए गए हैं। सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और बाकी तमाम टीनेन्ट्स को जब यह एक्ट फ़ोर्स में आवेगा, उनको खातेदारी हकूक मिलेंगे ऐसा प्रोविजन किया गया है। उस वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि आगे के खण्ड १५ में इसबात का समावेश किया जावे। माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान टिनेन्ट की डेफिनिशन जो खण्ड ४ के उप खण्ड (४२) में है और जिसमें टिनेन्ट की परिभाषा दी गई है दिलाना चाहता हूं :

" 'Tenant' shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention

[श्री जवानसिंह]

appears, include a co-tenant or a tenant of khudkasht or a sub tenant or mortgagee of tenancy rights..."

तो इस प्रकार से जब हम टिनेन्ट की परिभाषा को देखते हैं तो इसमें टिनेन्ट के अलावा सब-टिनेन्ट, को-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और ए मोरगेजी ऑफ ए टिनेन्सी राइट का भी इस टिनेन्ट की परिभाषा में समावेश किया गया है। इसी प्रकार जब हम क्लॉज़ १४ को देखते हैं तो हम चाहते हैं, कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को एक्सक्ल्यूड कर दिया जावे लेकिन हमने मोरगेजी ऑफ ए टिनेन्सी राइट को एक्सक्ल्यूड नहीं किया है। इसलिये जब यह कानून आवेगा तब ये हक़ूक अपने आप बिना किसी कदर कार्यवाही किये हुए, उस व्यक्ति को खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात गलती से हो सकती है। मेरा यह निश्चित मत है कि मोरगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट को अपने आप हक मिल जावें यह मंशा इस कानून के बनानेवालों की नहीं है। मोरगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट्स और टिनेन्ट के बीच में किसी प्रकार का वायदा हो सकता है। लेकिन जहां तक टिनेन्ट और मोरगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट के बीच में जो सम्बन्ध होता है उससे, उस टिनेन्ट के राइट्स अपने आप खत्म हो जावेंगे और बिना लैन्ड होल्डर की जानकारी में लाये ही उसको अपने आप टिनेन्सी राइट्स मिल जावेंगे, ऐसी धारणा इस सदन की नहीं है। इसलिये मैंने जब खण्ड १४ के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी, तब निवेदन किया था कि १४ की उपखण्ड में इसका समावेश किया जावे कि जहां पर टिनेन्ट को खातेदारी रही है उसके आगे से मोरगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट्स को निकाल दिया जावे। अगर वहां पर नहीं जोड़ा जावे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि खण्ड १५ में इस प्रकार का प्रोविज़न होना बहुत जरूरी है। इस खण्ड को पूरा करने से पहले उस लेन्ड को जिसमें टिनेन्सी राइट ऑफ मोरगेजी है, उसको खातेदारी राइट्स मिलने से वंचित रखा जावे। इसलिये अगर आप वास्तव में किसानों का भला चाहते हैं, तो इसको स्वीकार न करें क्योंकि ये लोग दूसरों की जमीनों को गिरवे रख लेते हैं और गरीब किसानों का खून चूसते हैं। अगर यह रहेगा तो इस कानून के फोर्स में आने के बाद उनको अपने आप, बिना किसी कार्यवाही किये, खातेदारी के हक़ूक मिल जावेंगे। इसलिये इस तरह का कम से कम कोई प्रावोजन होना चाहिये जिससे वे किसानों का खून न चूस सके। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखा जावे। मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री ने निश्चित रूप से बहस करने से पहले यह आश्वासन दिया था। मैं उस वक्त निवेदन कर रहा था कि दोनों क्लाॅजों में यानि क्लॉज़ १४ या क्लॉज़ १५ में कहीं पर भी ऐसा किया जावे कि जिससे वास्तव में काश्तकारो का हित हो और उन महानुभावों को खातेदारी हक़ूक नहीं दिये जावे, जो मोरगेजी ऑफ टीनेंन्सी राइट्स से हक हासिल करना चाहते हों।

श्री अध्यक्ष—क्या इसका उत्तर देंगे या इसको डेफर करेंगे ?

श्री भोलानाथ—डेफर करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—In between there is another amendment for the insertion of a new clause by Shri H .K, Vyas. That is clause 15-A.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That depends on the decision of clause 15 (xiv)

श्री अध्यक्ष—But then the Hon'ble Member will move his amendment and we can defer it. Formally please move it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It may be taken as moved.

श्री अध्यक्ष—The member can give his speech in the House,

श्री हरिकृष्ण व्यास—After the Hon'ble Minister replies.

खण्ड (१६)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १६ श्री भैंरूंसिंह (१६)

(श्री भैंरूंसिंह अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा—Mr. Speaker,......

श्री अध्यक्ष—Read the amendment. It is serial No.191.

श्री नाथूराम मिर्धा— That would come after clause 16. So first we have to pass clause 16 and then we can proceed with it.

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह अनुपस्थित हैं अतः इस पर मत लेने की आवश्यकता नहीं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष—१६ (ए), श्री चांदमल मेहता ।

Page No.32

श्री अध्यक्ष—That will be 16AA. We must first take 16A.

श्री नाथूराम मिर्धा—That 16A be taken first.

श्री अध्यक्ष—Doubles can't take place until singles are taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—As a special case you can permit that irregularity.

श्री अध्यक्ष—I can't permit. Yes, Amendment No. 191.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६ के पास हो जाने के बाद में और क्लॉज़ १६ (अ) में आगे जाने के पहले मेरा जो एक संशोधन; है वह यह है कि एक नई क्लॉज़ जिसका नम्बर मैंने १६ (ए० ए०) रखा है टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को समझने के लिये इस नये क्लॉज का होना जरूरी है। जब हमने क्लॉज़ १३ को एक तरह से रिवाइज्ड फोर्म में पास किया है और जिसमें खातेदार, गैरखातेदार और टिनेन्ट ओफ खुदकाश्त माने हैं, तो यह लाजमी हो जाता है कि टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त क्या है, वह समझा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—I think it is very clear.

श्री नाथूराम मिर्धा—"Tenant of Khudkasht shall mean the person by whom rent is or, but for a contract, express or implied, would be payable to an estate-holder in respect of Khudkasht."

यह डेफिनिशन मेरे ख्याल से लाजमी हो जाती है। चूंकि यह साफ है और यह अमेन्डमेन्ट होना जरूरी है, इसलिये मैंने इसकी आवश्यकता को अनुभव किया और यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष—यह किस हैड के अन्तर्गत जावेगा। Class of tenants or primary rights के पहले या बाद में ?

श्री नाथूराम मिर्धा—प्राइमरी राइट्स के पहले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, ऐसा कर लें तो अच्छा रहेगा कि पहले वाला क्लॉज़ १६ सब क्लॉज़ (१) बन जाय और यह क्लॉज़ १६ का सब क्लॉज़ (२) बन जाय।

श्री अध्यक्ष—This is a matter of formality.

श्री एच० के० व्यास—If once we pass it, we cannot alter it later.

Page No.33

कुं० श्री जसवन्तसिंह—There is one point I would like to submit.

यह जो मेरे माननीय मित्र ने अमेन्डमेन्ट मूव किया है इसमें कोई एतराज जैसी बात नहीं है। इससे तो डेफिनिशन क्लियर हो जाती है और मामला और साफ हो जाता है। मैं इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूँ। वास्तव में यह अमेंडमेंट तो नहीं है; एक सुझाव है और वह है एक वर्ड को तब्दील करने के बारे में। एस्टेट होल्डर (estate holder) के बजाय 'जागीरदार' कर दिया जाय। खुदकाश्त होल्डर वहां जागीरदार होगा और उसका टिनेन्ट होगा वह जागीरदार का टिनेन्ट होगा।

श्री भोलानाथ—माफीदार को क्या कहेंगे?

श्री अध्यक्ष—"Estate holder' shall mean the holder for the time being of an estate, that is to say, a Jagirdar, an Istamrardar, a Biswedar or a Zamindar.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस्तमुरारदार, बिस्वेदार आदि इस एक्ट में कहीं नहीं आये हैं। यहां जो 'टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त' का मतलब लिया जाता है वह पर्पज़ली 'जागीरदार' से लिया जाता है। अगर यह शब्द यहां रख दिया जाता है तो मामला काफी साफ हो जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा। It will serve the whole purpose. Jagirdar will include an Istamrardar and estate holder.

श्री अध्यक्ष—But my friend from the Jodhpur constituency objects to this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not only I am objecting but I am trying to point out that in the next session we are going to adopt Zamindari Abolition Act. I do not think we can go on changing the Tenancy Bill like this.

यह ठीक है कि आज जो उनके पास जमीन है उस पर ये रूल्ज़ लागू नहीं होते किन्तु इस तरह से परिभाषायें और क्लॉजेज़ बनते चलेंगे तो मेरे खयाल मे अड़चन ही आवेगी। जागीरदार उसमें है और यदि इस्तमुरारदार या बिस्वेदारों को यह लागू नहीं होता है तो उसको एक कोने में पड़ा रहने दीजिये, let it remin there. मुझे तो एतराज है साहब।

श्री जवानसिंह—खण्ड ४ का जो उप खण्ड (२३) है उसमें खुदकाश्त की परिभाषा दी हुई है, जो इस प्रकार है: "'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally by a Jagirdar and shall include..." उसके आगे "held as Khudkasht, Sir or Hawala at the commencement of this Act, or, allotted as Khudkasht under Chater IV of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952"

[श्री जवानसिंह]

तो जहां पर खुदकाश्त का प्रश्न आता है वहां 'जागीरदार' शब्द ही "estate holder" के बजाय रहना आवश्यक है। यहां पर उसी से इसका सम्बन्ध है और इसीलिए 'जागीरदार' शब्द रहना ही उपयुक्त होगा। जब जमींदारी एबोलिशन का प्रश्न आयगा तब उसके लिये दूसरा नाम रखा जा सकता है। यह आवेगा तब सोचने की बात है। चूंकि जमींदारी एबोलिशन आने वाला है इसलिए इसको रहने दिया जाय। मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है कि इस प्रकार भविष्य के लिये बेमाने प्रोविजन रख दिया जाय।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि यहां हमने टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की परिभाषा दी है। जहां तक परिभाषाओं का सवाल है वे क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत आई हैं। इसलिए इस परिभाषा को भी यहां न रख कर क्लॉज़ ४ के जहां कि टिनेन्ट, सब टिनेन्ट और दूसरी प्रकार की परिभाषाएं आई हैं, वहां इसको भी जोड़ दिया जाय, रख दिया जाय। तो यह टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिए भी उपयुक्त स्थान होगा, न कि यहां पर जहां खातेदार, गैर खातेदार का प्रश्न है। ये तो जहां परिभाषाओं का सवाल है वहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र मिर्धाजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह परिभाषा खण्ड ४ में ही ली जाय।

श्री श्रीदास गोयल—जो अमेंडमेंट पेश किया है वह दुरुस्त है ही यह मैं भी महसूस करता हूँ। अमेंडमेंट कई ऐसे आगये हैं कि जो क्लॉज़ जहां जाना चाहिये वहां नहीं गया और जहां गया है वहां नहीं जाना चाहिए था और इस प्रकार से अगर मंजूर करते गये तो एक खिचड़ी सी हो जायगी। माननीय जवानसिंहजी का सुझाव है कि डेफिनिशन के अन्तर्गत जितने भी सवाल हैं उनको उसके अन्तर्गत ही लाया जाना चाहिये। मैं भी इसको महसूस करता हूँ। इससे जो चीज जहां रहनी चाहिये वहीं अगर रखी जावेगी तो एक्ट भी सुन्दर नजर आवेगा। अतः इसको परिभाषा के अन्तर्गत ही लिया जाना चाहिये और इसको एल्फाबेटिकली जिस जगह यह आता हो वहीं रखा जाय।

दूसरा यदि 'जागीरदार' शब्द एस्टेट होल्डर की जगह आये तो कोई एतराज जैसी बात नहीं होनी चाहिये। हमने खुदकाश्त की जगह एस्टेट होल्डर और 'जागीरदार' रखा है। यह उससे सम्बन्धित प्रश्न है इसलिये ज्यादा क्लीयर हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव यह है कि यहां जो वर्ड 'एस्टेट होल्डर' है उसकी जगह 'जागीरदार' कर दिया जाय। यह सुझाव ठीक है।

श्री जवानसिंह—श्री मिर्धाजी उत्तर दें उसके पहले सरकार की ओर से उत्तर मिल जाता तो ठीक होता।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ही अमेन्डमेंट है और मेरे ही अमेन्डमेन्ट पर सुझाव आया है। अतः यदि मैं पहले आपके सुझाव को मंजूर कर लेता हूं तो ठीक रहेगा।

("ठीक है, ठीक है" इस प्रकार की आवाज)

वर्ड 'जागीरदार' एस्टेट होल्डर के बजाय ठीक है और यह कर दिया जाना चाहिये। क्लॉज आठ में सक्सेशन और खुदकाश्त का प्रश्न है। वहां भी एस्टेट होल्डर की जगह 'जागीरदार' कर दिया गया था। मेरे जोधपुर से आये मित्र को डर है कि बार बार चेन्ज करना पड़ेगा, जमींदार, बिस्वेदारी आदि का एबोलिशन करना है आदि। तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके खुदकाश्त का प्रश्न जो है वह जागीरदारों के खुदकाश्त के प्रश्न जैसा नहीं है। उनके पास जो जमीनें हैं और जिन पर वे काश्त करते हैं नेचुरली वे खातेदार बन जावेंगे और जो किसान उनकी जमीन को काश्त करते हैं उनके ऊपर किसानों को खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे, तो नेचुरली उनका प्रश्न जागीरदारों के समान नहीं है। इसलिये यहां एस्टेट होल्डर रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और यदि यह यहां नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ऐसी बात भी मैं उपयुक्त नहीं समझता।

दूसरा सवाल यह है कि डेफिनिशन कहां रखी जाय ? इसको डेफिनिशन में जोड़ दिया जाय, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है और लीगल डिपार्टमेंट उसको उचित समझे वैसा करे।

श्री अध्यक्ष—Not very particular about the place where to put in the amendment ?

(श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है इसको रखने से कोई बुराई की बात मालूम नहीं पड़ती। क्लॉसेज़ ऑफ टिनेन्ट का जो चेप्टर है इसको उसी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इसको खुदकाश्त की तारीफ में नहीं रखा। टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को क्लासेज़ ऑफ टिनेन्ट में रखना ज्यादा उपयुक्त मालूम हुआ।

जैसा कि जसवन्तसिंह जी द्वारा कहा गया और श्री जवानसिंह जी ने जिस बात की ओर इशारा किया कि क्लॉज़ ४ के सब क्लाज़ (२३) में 'एस्टेट होल्डर' की जगह 'जागीरदार' शब्द जोड़ दिया जाय, मुझे इसमें 'एस्टेट होल्डर' की जगह 'जागीरदार' शब्द जोड़ने में कोई एतराज मालूम नहीं होता। इसलिये मैं इसे एज़ अमेन्डेड मन्जूर करता हूं।

'एस्टेट होल्डर' है वहां 'ए जागीरदार' हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूरामजी मिर्धा ने क्लाज़ १६ ए को जोड़े जाने के बारे में रखा है उसमें शब्द 'एन एस्टेट होल्डर' के स्थान पर 'ए जागीरदार' स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १६ ए बढाये जाने के लिए श्री नाथूरामजी ने जो संशोधन रखा है उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड १६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १६ ए. ए.

श्री अध्यक्ष—१६ ए. ए., श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लाज़ १६ के ए. बी. सी. डी. को कन्सीडर किया जाय, उसके पहले मैं यह निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि इस क्लाॅज़ के ए. बी. सी. डी. के ये भाग जो बड़े महत्वपूर्ण हैं इनको विचारने में सिलेक्ट कमेटी में भी काफी दिन लगे थे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जब तक रेवेन्यू मिनिस्टर साहब न पधार जांय इन भागों को स्थगित कर दिया जाय। ए. बी. सी. डी. पार्ट कम्पेनसेशन के हैं। इनमें इम्पोर्टेन्ट प्रोवीजन्स ऑफ दी होल बिल है इसलिये इनको पोस्टपोन किया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो विचार श्री सोहनलालजी भटनागर ने प्रगट किये हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं। इस एक्ट का सार ही इस चेप्टर में है। अतः बेहतर यह होगा कि इस चेप्टर को राजस्व मंत्री के आने तक स्थगित कर दिया जाय क्योंकि तमाम बिल का सार इसमें आ गया है।

श्री अध्यक्ष—What is the wish of the House?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, अगर हम इसी प्रकार हरेक क्लाॅज़ को पोस्टपोन करते गये तो हम यहां पर किसलिये आये हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस क्लाॅज़ को

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

पोस्टपोन करने के बजाय इस पर बहस की जाय यदि बहस में ऐसी कोई बात मालूम पड़े तो फिर उस चीज की सफाई के राजस्व मंत्री के आने की राह देखी जा सकती है। आपको प्रेक्टिकल बात को देखना चाहिये। यही बातें सिलेक्ट कमेटी में भी आई थीं, इस क्लॉज़ को पोस्टपोन कर दिया गया था; आखिर तीन महीने बाद यह तय हुआ। अगर इस तरह से छोड़ते गये तो कोई काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। आखिर इसको करना तो हमें ही है, तो फिर और अभी में क्या फर्क है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पोइन्ट यह है कि हम इसे किसी और नियत से पोस्टपोन कराने का विचार नहीं रखते हैं। माननीय मंत्रीजी, जिनका सम्बन्ध इस बिल से रहा है, उनकी मौजूदगी में यदि इस बिल का जो सबसे इम्पोर्टेन्ट हिस्सा है उस पर बहस की जाय तो उस पर रोशनी वे अच्छी प्रकार डाल सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि उनके बजाय जो माननीय मंत्री काम कर रहे हैं वे इस पर रोशनी नहीं डाल सकते किन्तु एक मंत्री का जिस विभाग से सम्बन्ध होता है वह उसमें एक प्रकार से स्पेश्यलाइज्ड हो जाता है और वह ओथोरिटेटिव ट्यूली इस विषय में रोशनी डाल सकता है। इसलिये मेरा भी यही निवेदन है कि जो सोहनलालजी ने सुझाव रखा है वही दुरूस्त होगा।

श्री अध्यक्ष—But this is the only Bill before the House for the present.

श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही मत है कि जब तक मिनिस्टर महोदय न पधार जायं इस क्लॉज़ को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रश्न कल भी उठा था। हम जिनके प्रतिनिधि बन कर यहां आये हैं यह उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं कि बैठक को पोस्टपोन कर दिया जाय। कुछ न कुछ काम तो हमें करना ही चाहिये। अगर यह चेप्टर ऐसा ही है तो इसको रेवेन्यू मिनिस्टर के आने तक पोस्टपोन किया जा सकता है। किन्तु आगे के क्लॉजेज़ को तो हम ले सकते हैं या यह कर सकते हैं कि जितने भी अमेंडमेंट आये हैं वे सब मूव कर दिये जांय और उन पर डिस्कशन आरम्भ कर दें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, हमारी तरफ से हाउस को पोस्टपोन करने की बात नहीं कही गई है। हम तो यह चाहते हैं कि इस क्लॉज़ को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय, राजस्व मंत्री के आने तक। आगे के क्लॉजेज़ लिये जा सकते है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि इस क्लॉज़ के ए. बी. सी. और डी. भाग को ही पोस्टपोन किया जाय और इसके आगे का भाग जो नोन कन्ट्रोवर्सियल है उसको ले लिया जाय तो कोई एतराज नहीं होगा।

We defer Clauses 16 A, B and C and also D.

(विराम)

Then we come to Clause 17.

खण्ड (१७)

Amendment to be moved by Shri Nathu Ram Mirdha. "Subject to any rules that may be framed." It is formal.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा जो अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १७ में है वह बहुत छोटा और सीधा है। वह इस प्रकार है :

"Subject to the rules, if any, framed......"

इसमें जो भाषा काम में लाई गई है वह अच्छी नहीं है। इसको सुधार करने के लिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रक्खा है कि " Subject to the rules, if any, framed " इसके बजाय "Subject to any rules that may be farmed..." यह रख दिया जावे। क्योंकि इससे भाषा जरा ठीक हो जावेगी।

इस तरह से मेरा अमेन्डमेन्ट बिल्कुल छोटा सा है और मेरे ख्याल से इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Chand Mal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 17:— "Delete the word 'Khatedar' in line 3 of the clause, (b) Insert the words 'and the Tehsildar shall allot a suitable site even if that is to be done after acquisition' at the end of the second proviso."

अध्यक्ष महोदय, मकान बनाने के लिये और बाड़े बनाने के लिये जहां जमीन देने की इसमें व्यवस्था रखी गई है वहां यह खातेदार के लिये ही है। जो गैर खातेदार टिनेन्ट हैं या सब

[श्री चांदमल मेहता]

टिनेन्ट या खुदकाश्त टिनेन्ट हैं उनको मकान के लिये या बाड़े के लिये कोई जमीन दी जा सकेगी, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

राजस्थान के निर्माण के पहले जो छोटी छोटी रियासतें थीं उन्होंने भी इस किस्म की सुविधाएं दी थीं तो आज के प्रगतिशील कहे जाने वाले जमाने में तो इससे भी अधिक सहूलियतें किसानों को मिलनी चाहिये बजाय इसके कि जो पहले से मिली हुई हैं उनमें भी कमी की जाय। तो अगर अधिक नहीं अधिकार दिये जा सकते हों तो जो हैं उनसे कम तो किसी सूरत में नहीं किये जाने चाहिये। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है और मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में जब कि जनरल डिस्कशन पर मैंने अपने विचार जाहिर किये थे तो माननीय मन्त्रीजी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था तो अब इस संशोधन को स्वीकार करने में उनको आनाकानी नहीं होनी चाहिये।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है प्रोविजो २ में कुछ शब्द और एड करने के सम्बन्ध में जो कि इस प्रकार है : "and the Tehsildar shall allot a suitable site even if that is to be done after acquisition."

(श्री हिम्मसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

चेयरमेन महोदय, रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स बिल के पास होने के बाद में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि गांव में आबादी के लिये जमीन की एक समस्या नई पैदा हो गई है। कितने ही प्लॉट्स जो पहले गांवों में पड़े थे उनमें से अधिकांश पर जागीरदारों ने अपना अधिकार कर लिया और अब कई गांवों में तो यह समस्या बन गई है कि अपने बाड़ों और मकानों के लिये जमीन की आवश्यकता की पूर्ति कैसी की जावे ?

इसी तरह से इन्हें जमीन न मिलने के सम्बन्ध में एक सवाल मैंने यहां किया था और इसके सम्बन्ध में यह बताया गया था कि जब काश्तकारी कानून बनेगा तब इसके लिये व्यवस्था कर देंगे, पर मैं देखता हूँ कि इस काश्तकारी कानून में उसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं हाल ही की एक घटना बताना चाहता हूँ कि परबतसर सब डिविजन में एक मियांपुर गांव है। उसकी ऐसी हालत है कि वहां न जमीन है मकान बनाने के लिये और न जमीन है बाड़े बनाने के लिये और अगर किसानों ने किसी दूसरी जमीन पर किसी तरह से मकान और बाड़े बना लिए थे तो सरकार की तरफ से वे अब वहां से हटा दिये गये हैं।

तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि जिन गांवों में बाड़ों या मकान के लिये जमीन नहीं है वहां ऐसे काम के लिये जमीन जरूरत पड़े तो एक्वायर करके भी सरकार उनको दे।

[श्री चांदमल मेहता]

तो इसलिये मेरा यह दूसरा अमेंडमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये दोनों अमेंडमेंट बहुत आवश्यक समझकर माननीय मन्त्री महोदय इन्हें स्वीकार कर लेंगे।

श्री जवानसिंह—मेरा संशोधन धारा १७ में दूसरे प्रोविजो में है जो कि बहुत साधारण सा है। वह इस प्रकार से है : वर्ड 'एट' के स्थान पर वर्ड 'आफ्टर' सब्स्टीट्यूट करने का निवेदन मैंने इस संशोधन द्वारा किया है। इस संशोधन के बाद यह सेकिंड प्रोविजो इस प्रकार रन करेगा :

"Provided further that he shall have to make an application to the Tehsildar, if he has no residential house after the commencement of this Act, for allotment of a suitable site for the purpose." जहां 'एट' शब्द रक्खा गया है उसमें मकान के लिये उसके सिलसिले में एक शिष्टाचार के लिये अर्जी देने का सवाल है। उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है वहां 'एट' से कमेन्समेंट 'ऑफ' दी एक्ट होता है। पर मेरा खयाल है कि यहां 'एट' शब्द उपयुक्त नहीं है जिस वक्त कानून फोर्स में आवेगा उस वक्त देना ठीक नहीं है और न मुमकिन ही हो सकता है। इससे आम किसान की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यह तो उसके लिए तभी मुमकिन हो सकता है जब कि कानून फोर्स में आजावे और इसके बाद किसी को किसी मकान की जरूरत हो, किसी के पास मकान नहीं है तो उसको मकान देने के लिये अरजी दी जावे। तो यह सहूलियत इस 'ऑफ्टर' वर्ड को रख देने से किसान को हो सकेगी।

आशा है माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस प्रस्ताव को, मेरे इस छोटे से अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr, Chairman, Sir, I move an amendment in list No. 8, serial No. 123, and the amendment in part (i) of the clause is:—
"'Delete the proviso' and in part (ii) of the clause retain the words 'and stocking manure'."

ये मेरे दोनों संशोधन बहुत मामूली से हैं। मेरा ख्याल है इन्हें मन्जूर करने में विशेष कठिनाई नहीं आनी चाहिये, हालांकि मन्जूर करने से किसान को कुछ कठिनाई आ सकती है।

पहला जो भाग है उसमें एक राइट दिया है टिनेन्ट को कि, "(i) to possess in the abadi of the village in which he holds land, a (suitable) site for a residential house." और इसका प्रोविजो यह दिया है "provided further that he shall have to make an application to the Tehsildar, if he has no residential house at the commencement of this Act for allotment of a suitable site for the purpose" मेरा ख्याल है कि कानून बनाते समय हमें मिनिमम से मिनिमम रेगूलेटिंग पॉवर देनी चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इतने सालों से यह काम होता चला आया है, किसान को इसके लिये कभी इस तरह का प्रोसेस इसके लिए नहीं लेना पड़ा वगैर टिनेन्सी लॉ के और वगैर तहसीलदार को इजाजत के अपने खेत के हिस्से में अपनी ढाणी में या अपने गांव में अपने मकान उसने बनाये हैं और उसमें रहा है। तो ऐसी हालत में यह तहसीलदार की इजाजत का नया नियम इन्सर्ट करना गैरवाजिब होगा। साथ ही इसका नतीजा यह होगा कि वहां अरजो पहुंचेगी, उस अरजी पर रिपोर्ट लेगा और इसके बाद इजाजत दें तो इस किस्से में बेकार की उलझनें पैदा होंगी किसानों को, और कुछ भ्रष्टाचार भी बढ़ने की गुंजाइश होगी।

तो इसलिये ऐसा कोई प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहले उनको राइट दिया है और वे लोग जैसे आज तक अपने उस राइट का उपभोग करते आये हैं वह राइट उनका आप कायम रहने दीजिये और ये बेकार की दिक्कतें उसके रास्ते में नई और न खड़ी कीजिये। Let him enjoy that right. फिर पार्ट दो में जो अधिकार दिये हैं स्टोकिंग मेन्योर के वे रहने चाहिये, यह मेरी इस संशोधन द्वारा मंशा है। मेरा संशोधन इस प्रकार है— "for grazing his cattle and other domestic animals, and thrashing corn and stocking manure" इस स्टोकिंग मेन्योर का शब्द ही सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिया है। मेरा ख्याल है वह हटाना नहीं चाहिये। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पार्ट है और अगर यह शब्द हटा दिये गये तो एक बहुत ही बड़ी अड़चन किसान के रास्ते में आ जावेगी। दरअसल में डोमेस्टिक एनीमल्स, और स्टोकिंग मेन्योर दोनों एक दूसरे से "inter-mingled, inter-penetrating and inter-dependent" हैं। तो जब स्टोकिंग मेन्योर और डोमेस्टिक एनीमल्स दोनों करीब करीब एक ही प्रकार से रहते हैं तो फिर इनको क्यों न रक्खा जावे, हटाया क्यों जाए। जब डोमेस्टिक एनीमल्स को वे रखेंगे तो उनका रिफ्यूज़ वे इकट्ठा करेंगे और उससे रुपया पैसा भी इकट्ठा करते हैं, अच्छे खाद के काम में लाते हैं और ये जानवर रखते हैं; देन बिकम्स दी रीयल मैन्योर। तो इस प्रकार से वे इस्तेमाल करते हैं इससे उनको महरूम नहीं किया जाना चाहिये। ये शब्द रहने चाहिये।

ये दोनों मेरे संशोधन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्वीकार कर लिये जावेंगे।

श्री सभापति—श्री मोतीलाल चौधरी। लिस्ट नं० १४, सीरियल नं० २४८।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, मेरे दो एमेंडमेंट हैं। एक तो वर्ड "खातेदार" डिलीट करने का और साथ ही साथ 'और सबटिनेन्ट' शब्दों को टिनेन्ट के बाद लगाने का।

(पुनः दोहराते हुए)

"Delete the word Khatedar and insert the words "or sub-tenant" after the word "tenant" occurruing in line 3." हालांकि यह एमेंडमेंट इसमें दिया हुआ

[श्री मोतीलाल चौधरी]

था कि टिनेन्ट की डेफिनिशन में सबटिनेन्ट आ जाता है। इसलिए मैं इतना ही मूव करता हूं कि "Delete the word 'Khatedar'." और बाकी हिस्सा मूव नहीं करता हूं। सैक्शन १७ के अन्दर "खातेदार" शब्द को डिलीट कर दिया जाय।

एक्स्प्लेनेशन में मेरा एमेन्डमेंट है। दूसरा एमेन्डमेंट एक्स्प्लेनेशन के अन्दर है। एक्स्प्लेनेशन में यह दिया गया है "A residential house shall include an enslosure or shed for cattle as well as accommodation for stocking seed, fodder and agricultural implements-"

उसके बाद यह और लगा दिया जाय :

Add the words, "and also the land required for the construction of reservoir or tanks for the purpose of drinking water including the catchment area for the same, after the words, 'agriculture implements.' "

दूसरा मेरा जो एमेंडमेंट है वह इसमें ज्वाइन करने के लिए है। इस विषय में मेरी यह अर्ज है कि खास तौर से रेगिस्तान में जो इलाका पड़ता है (जोधपुर, बीकानेर, कुछ हिस्सा जयपुर का) उन इलाकों में किसानों के कच्चे मकान हैं और कच्चे मकानों के पास वे जनरली कुन्ड बनाते हैं। उन कुन्डों के अन्दर जिनके मकान पक्के होते हैं उनकी छत से पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। कच्चे मकान होने के कारण किसानों को कुन्डों के चारों तरफ की जमीन पक्की बनानी पड़ती है ताकि मकानों से बह कर कुन्डों में जाकर इकट्ठा होजाय, इसलिए केचमेंट एरिया कुन्डों के लिए जरूरी है। इसलिए उसको भी इन्क्लूड रेजीडेन्शल हाउस में किया जाना चाहिए।

माननीय चेयरमेन, यह आम तौर से उन इलाकों के लिए हैं जहां पीने के पानी की इतनी डिफीकल्टी होती है कि करीब ५-७ कोस दूर से और कहीं कहीं जैसलमेर में ऐसे इलाके हैं जहां २० मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है। नागौर में भी कुछ इलाके हैं कि जिनको १२, १४ मील दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए पीने के पानी के लिए हर किसान छोटे छोटे कुन्ड बना लेता है और बरसात में उसमें पानी इकट्ठा कर लेता है और साल भर पीते रहते हैं। जहां पक्के मकान हैं, बडे बडे पैसे वाले महाजनों के यहां तो ये लोग अपने पक्के मकानों से पानी का कलेक्शन कर लेते हैं कुन्ड में, लेकिन जो गरीब आदमी हैं जिनके पक्के मकान नहीं हैं, कच्चे मकान हैं वे अपना कुन्ड मकान के बाडे के अन्दर बना लेते हैं। उसके केचमेंट एरिया को और पैंदे को पक्का कर देते हैं ताकि पक्का कर देने से जो पानी पड़ता है वह कुन्ड के अन्दर इकट्ठा हो जाता है। दूसरे इलाकों से जो सदस्य आये हैं उनकी तरफ यह हालत नहीं होगी। इसलिए पानी के कुन्ड को भी साथ में ले लिया जाय। खास तौर से जोधपुर का पूरा डिवीजन और बीकानेर का काफी हिस्सा और जयपुर का वह हिस्सा जो कि रेगिस्तान से सम्बन्ध रखता है उन इलाकों में तो इस तरह के कुन्ड बहुत जरूरी रहते हैं, पीने के पानी के लिए। इसलिए टीनेन्ट,

[श्री गोपीलाल चौधरी]

खातेदार, को जमीन दी जाय तो साथ ही साथ यह जमीन भी दी जाय जिसके अन्दर कुन्ड बन सके और कुन्ड में पानी आने के लिए केचमेंट एरिया बन सके। मुझे उम्मीद है कि यह दोनों ही एमेंडमेंट माननीय मन्त्री महोदय मन्जूर करेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस धारा के अन्दर कुछ एमेंडमेंट्स पेश हुए हैं। एक एमेंडमेंट श्री एच. के. व्यास ने मूव किया है और उनका कहना यह है कि इस धारा में से वह प्रोवीजो हटा दिया जाय जिसमें यह जरूरी रखा गया है कि तहसीलदार के रूबरू दरख्वास्त दी जाय रेजीडेन्शल हाउस के लिए साइट एक्वायर करने के लिये। मैं उस एमेंडमेंट को अपोज़ करता हूं। कारण इसका यह हैं कि तहसीलदार के यहां आकर कहे बिना या दरख्वास्त वगैरह दिये वगैर मकान बनाने की इजाजत हो जायगी तो काश्तकारों में आपस में इतने झगड़े होंगे जिनका कि कभी कोई तस्फिया नहीं हो सकता है। एक काश्तकार एक जगह मकान बनाना चाहता है और दूसरा कहता है कि इस पर मेरा हक है इसलिए झगड़ा जरूर चलेगा। इसलिए ऐसी आथोरिटी जरूर रखनी चाहिये कि जो ऐसे डिस्प्यूट होंगे उनको डिसाइड करे और काश्तकारों को रेजीडेन्शल हाउस के लिए जगह मिल जाय और आपस में झगड़ा नहीं हो और कत्ल नहीं हों।

दूसरा एमेंडमेंट श्री मोतीलाल चौधरी ने मूव किया है मुझे वहां का अनुभव नहीं है। कि रेज़ीडेन्शल हाउस में कुन्ड रखते हैं, यह समझ में नहीं आता है। उन्होंने जो कारण बतलाये उनमें से एक कारण यह बतलाया है कि एन्क्लोजर्स होते हैं उन एन्क्लोजर्स के अन्दर ऐसे कुन्ड हैं तो एन्क्लोजर्स रेजीडेन्शल हाउस में शामिल कर दिया है इसलिए इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं।

इसके अलावा मैं एक या दो सजेशन्स या उनको एमेंडमेंट भी ट्रीट (treat) किया जा सकता है सरकार के सामने पेश करना चाहता हूँ और इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है और उन पर अगर ख्याल किया जायगा तो उनके प्रोवाइड करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।

इसमें सबसेक्शन (१) है :

"(j) to possess in the abadi of the village in which he holds land, a suitable site for residential house" ऐसा provision है। तो कोई लॉ (संविधान) के मुताबिक डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिये। जहां तक विलेज के काश्तकारान् हैं उनके लिए यह प्रोवीज़न कर दिया है कि फ्री ऑफ चार्ज उनको रेजीडेन्स के लिए जमीन मिल जायगी। बहुत से म्युनिसिपल टाउन्स और सिटीज़ हैं उनके काश्तकारों का जरियाएमाश काश्तकारी है, तो उन काश्तकारान के लिए क्या प्रोवीज़न हैं? क्या वह जमीन पेमेन्ट करके हासिल करेंगे? इसलिए जैसा कि यह प्रोवाइड किया गया है :

[श्री श्यामलाल गोयल]

" (i) to possess in the abadi of the village in which he holds land, a suitable site for residential house " ऐसे रेजीडेन्शल हाउस के लिए यह चीज है कि विलेज के साथ टाउन भी एड कर दिया जाय। सिटी भी करना जरूरी हो तो वह भी एड कर दिया जाय। मैं समझता हूँ कि सिटी में एग्रीकल्चर लेन्ड नहीं होती। 'टाउन' का एड किया जाना जरूरी है। उसके लिए प्रोवीज़न जरूरी है, वर्ना वह एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो जायगा।

अलावा इसके एक एमेंडमेंट सब सेक्शन (२) में जो यह है कि "To use the waste-lands of the village for grazing cattle and other domestic animals and thrashing corn " जरूरी है मैं यह समझता हूँ कि अगर इस सबसेक्शन के लिए सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी जाय तो यह बहुत सरल हो जाता है। अलावा डेफिनिशन में प्रोवाइड किया गया है। पॉश्चर लेन्ड की डेफिनिशन में दिया है कि पाश्चर लेन्ड हम उसको मानते हैं जो किसी ग्राम के या ग्रूप ऑफ विलेजेज़ के लिए लेन्ड स्पेसिफिकेली केटल के ग्रेजिंग के लिए रख दिया जायगा तो उसको पाश्चर लेन्ड मानते हैं और गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि हर विलेज़ या ग्रूप ऑफ विलेजेज़ में पाश्चर लेन्ड रखें, पाश्चर लेन्ड वह है जो मवेशियों के चरने के लिए काम में आये। अब जहां मवेशियों के चरने के लिए स्पेशली पाश्चर लेन्ड रख दिया गया है तो उसमें यह कर दिया जाय कि पाश्चर लेन्ड तो है ही उसके अलावा वेस्ट लेन्ड भी मवेशियों के चरने के काम में आयेगी यह समझ में नहीं आती।

दूसरी बात जो समझ में नहीं आती है वह यह है कि पाश्चर लेन्ड का क्या किया जायगा ; whether it will be free of charge या उसके लिए कुछ चार्ज किया जायगा ? इसलिए साथ में अगर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो उसमें पेज ५ पर है।

"The part as it stands has too wide a scope in as much as a Khatedar tenant will have a right to use all waste lands of the village for grazing his cattle. The Committee feel that the right should be limited only to lands reserved for grazing so that difficulties may not arise in reclaiming waste lands for cultivation. The Committee have therefore substituted the words 'lands reserved for the purpose' for the words 'the waste land of the village'. "

सिलेक्ट कमेटी की जो राय थी उसके माफिक इसमें कोई वर्डस् नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि यदि इसको इस तरह से अमेन्ड कर दिया जाय तो काफी अच्छा हो : "to use the pasture land of the village for grazing of the cattle and other domestic animals and the waste land of the village for thrashing corn."

यदि यह इस तरह कर दिया जाता है तो जो सिलेक्ट कमेटी की मंशा थी वह क्लियर हो जाती है। जब पाश्चर लैंड की डेफिनिशन डिस्कस हुई थी उस वक्त कहा गया था कि पैसे लिये जायेंगे या

[श्री श्यामलाल गोयल]

फ्री काम में आयगी, इससे यह साफ होगा कि पाश्चर लैंड फ्री ऑफ कोस्ट मवेशी चराने के लिए हरेक के लिये काम में आजावेगी। मेरे दो सुझाव हैं, उनको मंजूर करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। इससे डिस्क्रिमिनेशन दूर हो जायगी और पाश्चर लैंड का प्रोविज़न स्पेसिफिक हो जायगा।

श्री सभापति—बहतर यह होगा कि आप अपने अमेंडमेंट लिख कर दे दें, बगैर लिखे हुए कोई बात नहीं होगी।

श्री श्यामलाल गोयल—जी हां, मैं लिख कर दे देता हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी और भी अमेंडमेंट्स बाकी हैं क्या ?

श्री सभापति—नहीं, कोई बाकी नहीं है।

कु० श्री जसवंतसिंह—मैं कुछ कहना चाहूँगा। I want some information... मिस्टर चेअरमेन सर, मैं श्री नाथूरामजी से निवेदन करूंगा कि यदि वे मेरी तरफ ध्यान दें तो अच्छा हो।

श्री नाथूराम मिर्धा—क्या साहब ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। माननीय श्री नाथूरामजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसके मतलब का थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिये। जो मौजूदा क्लॉज़ (१७) है उसमें यह लिखा है : "Subject to the rules, if any, framed by the State Government, in this behalf khatedar tenant shall have rights... etc."

अभी जो क्लॉज़ है उसके माफिक यदि रूल्स अभी नहीं बनायेंगे तो भी खातेदार टिनेन्ट को मकान बनाने के लिये जमीन मिल सकती है लेकिन, जैसा कि श्री मिर्धाजी ने अमेंडमेंट पेश किया है, उसके माफिक रूल्स बनाना कंपलसरी होगा और जब तक रूल्स न बनेंगे तब तक किसानों को मकान के लिये साइट नहीं मिलेगी। क्या यह काश्तकारों के लिये सुभीते की बात होगी ? रूल्स बनें तब काश्तकारों को हाउसिंग के लिये साइट मिले। यदि ऐसी मंशा आपकी है तो उनको इससे डिफिकल्टी होगी। मौजूदा जो क्लॉज़ है उसी को रहने दें तो उससे काश्तकारों को अधिक सुभीता होगा, वरना इस अमेंडमेंट के माफिक तो रूल्स बनाना कम्पल्सरी होगा।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि चौधरी मोतीलालजी ने जो अमेन्डमेंट रखा है उसके अनुसार क्लॉज़ १७ में जो एक्सप्लेनेशन है उसके अन्त में कुछ शब्द और एड करना चाहते हैं। वे शब्द ये हैं :

"and also land required for construction of reservoir or tank"......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें 'टांका' शब्द करिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(जारी) "reservoir or tank for the purpose of drinking water including catchment area for the same."

तो मामूली तौर पर यह समस्या जैसा कि उन्होंने फरमाया, बीकानेर में भी मौजूद है। घर में कुंड रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन गांव की आबादी के बाहर लोग मिलकर कुंड या टांके रखते हैं और इस काम के लिये कुंड बनाने के लिये उनको जमीन मिल जाती है। यदि घर में ही केचमेन्ट एरिया और कुंड रखेंगे तो बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी और जमीन मिल नहीं सकती। कोमन कुंड होंगे तो जमीन मिल जायगी। बीकानेर में जहां खारा पानी है वहां यह किया जाता है कि आबादी के पास २०, ३० कुंड बनाये जाते हैं और एक कोमन केचमेंट एरिया होता है। ५-७ काश्तकार मिलकर एक कोमन कुंड बना लेते हैं या ५,७ फेमिलीज़ एक कोमन कुंड बना लेती है। जहां पर जमीन की काफी कमी है वहां पर घर घर में बनाना नामुमकिन बात हो जायगी। इसलिये वह जो उनका सजेशन है वह प्रेक्टिकेबल नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—सिलेक्ट कमेटी ने जो शब्द रखे थे वे इस अमेन्डेड बिल में नहीं रखे गये हैं और ओरिजिनल बिल के शब्द ही रख दिये हैं। इस अमेन्डेड बिल में सिलेक्ट कमेटी के शब्द रखे जायेंगे या ओरिजिनल बिल के शब्द ही रहने दिये जायेंगे। क्लाज़ ११ का सब क्लॉज़ (२) देखेंगे तो आपको पता लगेगा।

श्री शम्भूसिंह—यहां पर अभी जो चर्चा चल रही है उसके बारे में दो शब्द मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। वेस्ट लैंड पर गांव के मवेशी चराने की खुली छूट देने के बारे में लिखा है, उसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि वेस्ट लैंड की कोई डेफिनिशन ही नहीं है। क्लाज ४ जो डेफिनिशन का है उसमें भी इसकी कोई डेफिनिशन नहीं आई है। तमाम गांव में जो अनऔकुपाइड लैंड है वह वेस्ट लैंड में आ जाती है। जब कि पाश्चर लेंड रिज़र्व है तो सारी वेस्ट लैंड पर मवेशी चराने की छूट क्यों देनी चाहिये ? इसके अलावा गांव की आबादी भी कभी बढ़ेगी। एक काश्तकार के ४ लड़के हैं तो उनको भी जमीन की जरूरत पड़ेगी; तो इसी वेस्ट लैंड में से उनको खेती के लिये जमीन दी जायगी। यदि यह जमीन मवेशी चराने के लिये रखी गई तो

[श्री शम्भूसिंह]

नये काश्तकारों को कहां से जमीन देंगे ? इसलिये वेस्ट लैंड को इस तरह से काम में लाना नामुनासिब होगा।

अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव पेश किये हैं उनको मैं वाजिब समझता हूं। जो संशोधन वे ला रहे है उनका मैं समर्थन करना चाहता हूँ। वेस्ट लैंड को डिफाइन नहीं किया है, उसको बगैर डिफाइन किये रखना ठीक नहीं है।

श्रीमती यशोदा देवी—किसानों के मकानों के लिये जमीन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मौजूदा हालत में छोटे छोटे किसान अपनी झोंपडी कहीं भी बना लेते हैं और इस कानून के पास होने के बाद यह होगा कि उनको मकान बनाने की जमीन लेने के लिये तहसीलदार के पास दर्ख्वास्त देनी पडेगी। इससे अच्छा तो यह रखा जावे कि जहां जहां पर ग्राम पंचायतें कायम हो चुकी हैं वहां पर किसानों को झोंपडी बनाने के लिये जमीन देने का अधिकार उन ग्राम पंचायतों को ही क्यों न दे दिया जावे ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—चेअरमेन सर, क्लाज़ १७ पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने अमेन्डमेंट पेश किये हैं उनके लिये मेरी यह गुजारिश है कि जिन लफ्जों में खातेदारी हटाने की तरमीम श्री चांदमल जी और मोतीलाल जी ने दी है वह दुरूस्त है क्योंकि हम सभी काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं। हमें किसी खास किस्म के काश्तकार को ही राहत नहीं देनी है बल्कि सबको एकसी देनी हैं, इसलिये इस शब्द को ओमिट कर दिया जाय और वह इस तरह पढ़ा जायगा :

" (i) to possess in the abadi of the village in which he holds land, a site for a residential house ."

" Subject to rules, if any, framed by the State Government in this behalf, a tenant shall have the right free of charge......"

लफ्ज 'खातेदार' इसमें से हट जायगा और टिनेन्ट, सब टिनेन्ट को इन्क्लूड करेगा, जैसा मोतीलालजी ने कहा कि सब टिनेन्ट इन्क्लूड करना नहीं चाहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास ने बताया कि दरख्वास्त देने से किसानों को राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत में कोई भी किसान कितनी जमीन लेगा, कहां से लेगा, किससे लेगा, कौन देना तय करेगा, यह बताने की व्यवस्था नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज कौन कर रहा है ? Who is doing it today ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

That procedure must be accepted.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अभी तो तहसीलदार करते हैं और नजराना लेते हैं। यदि विलेज में काश्तकार को दो बीघा भी जमीन लेनी होती है तो उसके लिये तहसील में दरख्वास्त देनी पड़ती है, बाकायदा नोटिस निकलता है; फिर पेमेन्ट लेकर, नज़राना लेकर जमीन दी जाती है, नहीं तो एन्क्रोचमेंट की तारीफ में आ जाता है और यहां तक भी इसके लिये पेनल्टी बनी हुई है कि बनाया हुआ मकान तक ढाया जा सकता है।

तो काश्तकारों को कितनी जमीन चाहिये, इसके लिये कोई न कोई तय करने वाली ओथेरिटी तो होनी ही चाहिये नहीं तो लोग बिना जरूरत ही जमीन ले लेंगे। तहसीलदार के पास दरख्वास्त जायेगी, वह उसकी सुनवाई करेगा, फिर जांच के बाद जितनी उसको जरूरत होगी वैसी देगा। तो इसलिये आपने व्यवस्था हटाने का जो कहा है वह ठीक नहीं है। इसे रखना निहायत जरूरी है।

तीसरा सुझाव श्री जसवन्तसिंहजी साहब का है कि अब तक जो व्यवस्था चालू रही है उसके अनुसार गाइड्स बनाने की आवश्यकता नहीं है और वैसे ही जमीन किसानों को दी जा सकती है।

कोई भी आरबीट्रेरी रूप से नहीं कराना चाहता। सरकार तहसीलदारों को भी यह पॉवर्स नहीं देना चाहती कि बिना रूल्स के ही किसानों को जमीनें दे दे। यह आशा रखनी चाहिये कि जब सरकार इस तरह का कानून बना रही है और सरकार की नीति किसानों को राहत देने की है तो जल्दी ही रूल्स बनायेगी। इसलिये नाथूरामजी ने इस बात का जो अमेंडमेंट दिया है वह बिल्कुल दुरुस्त है।

चौथा अमेंडमेंट श्री मोतीलालजी ने दिया है जो इस प्रकार है "It might include for tanka and the catchment area" कि टांका के लिये भी और केचमेंट के एरिया के लिये भी होना चाहिये। 'केचमेंट एरिया' इतना इसमें से हटा दिया जाना चाहिये, जैसा कि कुंवर साहब ने बताया, इतने तक सीमित रखा जायः

"and also land required for the construction of reservoir or tanka for the purpose of collecting drinking water including catchment area for the same."

"including catchment area for the same" यह इसमें नहीं रहना चाहिये, इसके बाद शेष को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

एक क्लाज़ छठा सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया है। श्री हरिकृष्ण व्यास ने स्टोकिंग मेन्योर का अमेंडमेंट पेश किया है कि स्टोकिंग मेन्योर को रखना चाहिये। हमने काश्तकारों को यह

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

सुविधा दे रखी है। खेतों में वे अपने होल्डिंग पर मकान बनाते हैं तो यह इम्प्रूवमेंट में आता है, वहां अगर वह खाद डाले तो इससे उसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। गांव के बाहर कोई जमीन खाली पड़ी हुई है, अगर उसको यह हक दे दें कि वहां भी वह खाद डाल सकता है तो आप वहां की गंदगी और सफाई का खयाल कर सकते हैं। ओरिजिनल एक्ट में यह था, पर जान बूझ कर इसे हटाया गया है जहां खाद डालने की जगह है वहीं डालें, गांव में किसी के मकान के आगे खाद डालने का अधिकार थोड़े ही दिया जा सकता है।

"to use the waste land of the village for grazing of the cattle and other domestic animals and thrashing corn and stocking manure."

"and stocking manure" has been omitted.

"To use the wastle land of the village for grazing cattle"..................... के लिये सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया।

"Reserved for grazing" लिखा हुआ है।

पास्चर लैंड की व्याख्या करते हुए हमने यह साफ किया है कि ग्रेज़िंग के लिये वेस्ट लैंड को रिजर्व रखा हुआ है। जब जागीर एबोलिशन एक्ट पास कर दिया है तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट, जिसे अभी पास नहीं किया है, वह भी आयेगा और पास होगा, अभी वेस्ट लैंड में पानी, चराई की फीस ली जाती है। किसान को यह हक दिया गया है कि वेस्ट लैंड में अपने मवेशी चराये तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अतः ग्रेज़िंग ही रखें तो इसका मतलब,

"to use the waste land of the village for grazing of the cattle and other domestic animals and thrashing corn"

मौजूदा स्थिति में जैसा है वैसा ही रहना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़े; वहां भी इसी तरह का डिस्कशन हुआ था और इसके बाद 'reserved for grazing' न रख कर 'waste land' ही रखना उपयुक्त समझा गया। दर असल जैसा यह है वैसा ही रखना चाहिये।

रावत श्री शम्भूसिंह—वेस्ट लैंड की तारीफ क्या है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो जमीन किसी में नहीं आये, ओक्युपाइड लैंड में भी नहीं आये, अनओक्युपाइड लैंड में भी नहीं हो वह लैंड वेस्ट लैंड में आयेगी।

चौथी बात यह है कि श्री श्यामलालजी ने यह सजेशन दिया है कि 'विलेज' के आगे 'टाउन' और 'सिटी' भी जोड़ा जाय :

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"to possess in the abadi of the village or town in which he holds land..............."

तो यह कन्सेशन हमने दिया है, उन काश्तकारों को। गांवों में जमीन ज्यादा मंहगी भी नहीं होती। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं है। यह कन्सेशन दिया जा रहा है। यह कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया हुआ है कि बिना नजराने के दिया ही जाय। यह तो एक कन्सेशन है। टिनेन्ट्स को सरकार एक सुविधा दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दें तो संविधान का आर्टिकल विरुद्ध पड़ता हो। गांवों में रहने वाले किसानों को फ्री नजराना न लेकर जमीन देने की व्यवस्था की गई है।

शहरों में भी दी जाय तो इससे सरकार की रेवेन्यु पर बुरा असर पड़ता है।

अतः यह विलेज तक ही सीमित रहना चाहिये, टाउन्स और सिटीज़ पर इसे लागू नहीं करना चाहिये।

श्री घीसीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय श्री चांदमलजी मेहता ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। गांवों में रहने के लिये वहां घर और बाड़े बनाने की और अगर वे घर और बाड़े बनाने के हकदार नहीं हैं तो बाड़े और घर कहां बनावेंगे? उनको अपने घर और बाड़े बनाने का हक होना चाहिये। इसलिये श्री चांदमलजी का जो संशोधन है वह अवश्य ही पास करने के योग्य है। साथ ही जो खातेदार और गैर टिनेन्ट हैं उनको रहने के लिये मकान मिल जावें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर यह बात बिल में नहीं रखी गई हैं तो वे कहां रहेंगे? जमीन में रहेंगे या आसमान में रहेंगे? जब उनको रहने के लिये कोई स्थान नहीं होगा तो आखिर रहेंगे कहां? इसलिये श्री चांदमलजी ने जो एमेन्डमेंट रखा है वह मंजूर हो जाना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी श्री कपिलदेवजी ने कहा है कि यह कन्सेशन केवल विलेज में ही दिया जाना चाहिये जिससे कि वहां के लोगों को फ्री ऑफ चार्ज घर बनाने के लिये जमीनें दी जा सकें लेकिन मैं यह कहूंगा कि विलेज की कोई डेफिनिशन नहीं है कि कितनी आबादी वाला विलेज कहलाएगा और कितनी आबादी वाला टाउन कहलाएगा। १०००, २०००, ५००० या ५०० की आबादी वाला टाउन कहलाएगा या विलेज, इस बात को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसी आबादियें हैं जैसे कि बुजा है, महुआ है, मावली हिन्डोन है। जहां ५०० काश्तकार और हजारों बीघा जमीन काश्त होती है और कई टिनेन्ट हैं। कोई वजह नहीं कि वे अपने आस पड़ोस में जहां जमीन खाली पड़ी है अपने मकान न बनावें। वे ऐसा करते हैं। अगर इस प्रकार का रूल फ्रेम होगा तो इससे उनको आपत्ति होगी। इसलिये मैं यह

Page No.51

[श्री श्रीदास गोयल]

कहूंगा कि थिकली पोपुलेटेड एरिया हो उस जगह इस प्रकार प्रतिबन्ध होना चाहिये और उन एरियाज को एवोइड किया जाता है। सब जगह थिकली पोपुलेटेड एरियाज़ को एवोइड किया जाता है। जहां खेतों के आस पास की जमीन है और वह पड़ी है तो जैसा श्री श्यामलाल जी ने कहा विलेज वालों के अतिरिक्त टाउन्स वालों को भी वे फ्री दे दी जानी चाहिये। हमारे यहां राजस्थान बनने से पहले जयपुर स्टेट में रेवेन्यू स्टेन्डिंग रूल्स चलते थे। उन रूल्स में भी इस प्रकार की शिड्यूल दी हुई थी। जब रिले फोर्म को प्रोविजन हो उसके बगैर कोई एलॉटमेंट ओफ लेन्ड नहीं होगा।

(अश्रव्य)

यह सही दलील नहीं है। जहां कन्सेशन विलेजर्स को दिया जावे उसी उसूल पर टाउन को भी वैसे ही कन्सेशन जरूर दिया जाना चाहिये। यह जयपुर में भी राजस्थान बनने से पहले था।

इसके साथ मेरा दूसरा निवेदन यह है कि रहने के लिये, हाउस बनाने के लिये तहसीलदार मौका देख कर इजाजत दे दे। इसका समर्थन दूसरे लोगों ने भी किया है। अगर ऐसा नहीं किया जावेगा तो लोगों में आपस में झगड़े होंगे और लट पटकेंगे और लिटिगेशन बहुत ज्यादा होगा।

वेस्ट लेंड का मतलब बंजर या अनओकुपाइड लेन्ड से नहीं है। सरकार बंजर जमीन के भी परचे देती है और उसका भी लगान लेती है। दो दो बिस्वा का भी लगान लिया जाता है। हां, लगान कम लिया है यह जरूर है। जैसी दर हो उसके अनुसार लगान लेनी जरूरी है। इसके साथ ही सिवाय चक जमीन होती है। सिवाय चक जमीन वह जमीन होती है जो अनओकुपाइड होती है और उसमें बहुत सी वेस्ट लेंड होती है और यह सरकारी जमीन होती है। वहां काश्तकारों को अपने खलिहान डालने का अधिकार होगा और वे ऐसा करते हैं। हाउस के लिये तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़ती है। खलिहान के लिये अलग अलग जगह होती है। इसके लिये कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती। गांव के नजदीक जहां पर काश्तकारों को सहूलियतें होती हैं और जगह खाली होती है वे अपना खलिहान बना लेते हैं। इसके लिए भी वे झगड़े करेंगे। इसलिये यह चीज होनी चाहिये कि जिस वक्त तहसीलदार उनके मकानों के लिये साइट का निरीक्षण करें उसी वक्त खलिहानों का भी निरीक्षण करके उसके सम्बन्ध में भी कोई न कोई आदेश दे दे। और जहां कहीं डिस्प्यूट हों तहसीलदार खुद जाकर देख लें और निर्णय कर दें, यह एक बहुत जरूरी चीज है। जहां तक रहने के मकानों का सम्बन्ध है खेतों में जमीन होती है। खलियान की जमीन का जहां तक सम्बन्ध है यह खेतों में नहीं होती। काश्तकार लोग फसल काट कर, ले जाकर खलियानों में डाल देते हैं। जो

[श्री श्रीदास गोयल]

जमीन खाली पड़ी होती है उसका वे लोग उपयोग करते हैं। मेरा तो कम से कम अपने जिले का अनुभव है और कम से कम दौसा सवाई माधोपुर का मेरा अनुभव है और उसी अनुभव पर मैं यह कह रहा हूं। तोरावाटी के मेरे लायक दोस्त ज्यादा जानते हैं।

श्री भोलानाथ—चेअरमेन महोदय, जिस तरीके से ये एमेन्डमेंट रखे गये हैं उसी मुताबिक में जवाब दूंगा। जहां तक श्री नाथूराम मिर्धा के एमेन्डमेंड का प्रश्न है यह एमेन्डमेंड भाषा को भी ठीक करता है और इसके साथ साथ इसकी मंशा भी खास है। जहां तक उनका कहना है कि अभी तक जमीनों के अलॉटमेंट का तरीका दूसरा रहा है, कहीं नजराना भी लोग देते हैं। इसलिये फ्री वर्ड जोड़ने से गवर्नमेंट को परेशानी का सामना करना होगा। इसलिये रूल्स फ्रेम करते समय ऐसे रूल्स फ्रेम करने चाहिये जिससे कोई दिक्कत पैदा नहीं हो। फ्री का कोई अन्दाजा नहीं, कितनी फ्री हो। इसलिये मैं यह कहूंगा कि श्री नाथूराम जी मिर्धा ने जिस भाषा में एमेन्डमेंड रखा है उसको मंजूर किया जाना चाहिये।

अब दूसरा एमेन्डमेंट श्री चांदमलजी का है। खातेदारों के पास जमीन बहुत रहती है और मामूली जमीन वालों को दिक्कत रहती है। खातेदार तो गरीब किसानों का खून चूसते हैं और आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो ये लोग हमारे उधर की तरफ जागीरदारों से भी ज्यादा हैसियत रखते हैं। वह जमीन को मोर्टगेज कर सकता है, उसके पास काफी जमीन होती है। जागीरदार के जो हक हैं वे उसको भी होते हैं। खातेदार को कोई दिक्कत नहीं होगी। वह तो एक तरह से गांव का मालिक सा होता है, और जहां बिस्वेदारी सिस्टम है वहां खातेदार आप देखेंगे कि मामूली शिकमी काश्तकार को बसने नहीं देता और बहुत तकलीफ देता है, किसी को बेदखल करा देता है। इसलिये मामूली काश्तकार को हक मिलने चाहिये और खातेदार को नहीं मिलने चाहिये। इसलिये श्री चांदमलजी और श्री मोतीलालजी ने जो संशोधन रखे हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं।

श्री चांदमल जी के बी. पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं। लेन्ड को एक्वायर करके दूसरे को देने में झगड़ा होगा, लेकिन जो आगे डिफाइन किया है प्रोविजो में उससे इसका मतलब पूरा हो जाता है। मैं समझता हूं कि अगर रूल्स फ्रेम होते समय ऐसा होगा तो उसमें थोड़ी कॉम्पलीकेशीज़ हो जाती हैं इसलिए मैं इसको मंजूर नहीं करता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(अश्रव्य)

श्री चांदमल मेहता—तहसीलदार एक्वायर करा कर दे दे, कोई झगड़ा नहीं होगा।

श्री भोलानाथ—इस तरह के झगड़े एक्वायर करने पर होते हैं। इसके अलावा पब्लिक पर्पजेज़ के लिये जमीनें एक्वायर की जाती हैं और एक्वायर करने के लिये आबादी का प्रश्न नहीं आता।

[श्री भोलानाथ]

श्री जवानसिंह ने जो अमेंडमेंट दिया है कि 'एण्ड' के बजाय 'आफ्टर' कर दिया जाए। अगर जवानसिंहजी मंजूर करें तो "at the commencement of this Act" के शुरू का सारा हटा दिया जावे तो इससे आपका मतलब पूरा होगा और मैं समझता हूं कि that is the underlying idea of his amendment, आपको यह मंजूर होगा।

श्री जवानसिंह—Yes, I agree

कु० श्री जसवन्तसिंह—श्री मोतीलाल जी के अमेंडमेंट का क्या होगा?

श्री भोलानाथ-(जारी) श्री हरिकृष्ण व्यास का जो अमेंडमेंट है मेन्योर इकट्ठा करने के सम्बन्ध में। राइट रहता है इस तरह का मेन्योर इकट्ठा करने का और उसके लिए जमीन लेना वाजिब बात नहीं मालूम होती। सिलेक्ट कमेटी ने पहले ही इसको काट दिया है, इसलिए मैं इसको आवश्यक नहीं समझता। तहसीलदार को अधिकार है। यह गलत बात है, झगड़े की बात है; और साहबानों ने भी इसको ठीक नहीं बतलाया है और मैं भी इसको वाजिब नहीं समझता।

श्री मोतीलाल जी का अमेंडमेंट मंजूर हो गया। टांका से अभिप्राय केचमेंट की जमीन से नहीं है। टांका में कम जमीन आती है और केचमेंट में अधिक। केचमेंट कई एकड़ में आता है। मैंने टांके देखे हैं, जेसलमेर में भी देखे हैं, राजगढ़ और चूरू में भी देखे हैं। कुन्ड बना लेते हैं, कोई पक्के भी बना लेते हैं और कच्चे भी। उसके डिमार्केशन वगैरह अलग होते हैं, दीवार वगैरह टांके और रिजरवायर के जरूरी हो जाती है। तो इसमें जो 'केचमेंट एरिया' का शब्द है उसे हटा देना चाहिये। 'टांका' जो कि डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए होता है, यहां जोड़ देना चाहिये।

श्री श्यामलाल जी गोयल के अमेंडमेंट के बारे में...

श्री सभापति--अमेंडमेंट कोई नहीं आया है।

श्री भोलानाथ—श्री श्यामलाल जी का अमेंडमेंट अब आ गया है। उसमें खास तौर पर यह लिखा है:—

add the words 'or town' after 'village' in part (i)- to possess in the abadi of the village 'or town' in which......यह हो सकता है। मैं कहूँगा कि इसमें तो ज्यादा खतरे की संभावना है। कस्बे और टाउन की डेफिनिशन करना भी मुश्किल हो जायगा, वैसे सेन्सस डिपार्टमेंट करता जरूर है। राजस्थान में कुछ और है और बाहर कुछ और है। मैं समझता हूं कि इस टिनेन्सी एक्ट द्वारा हम काफी लिबरल हो गये हैं आबादी के लिये जमीन देने में। आपने 'फ्री' वर्ड जोड़ कर एक तकलीफ पैदा कर दी है। अगर देना होगा तो तहसीलदार विचार करेगा।

[श्री भोलानाथ]

उसमें 'टाउन्स' नहीं जोड़ना ही ठीक रहेगा। टाउन्स की जमीन कीमती होती है। जहां कहीं टाउन होगा तो आधा एक मील में जरूर कोई गांव होगा। तो उस जमीन में डिमार्केशन हो सकता है, वह वहीं जाकर रह सकता है और इसलिए विलेज को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं श्री श्यामलाल जी का अमेंडमेंट भी ठीक नहीं मानता हूं।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है: "Substitute part (ii) by:-

'(ii) to use the pasture land of the village or town for graziug his cattle and other domestic animals and the waste land for thrashing corn.' "

श्री सभापति—आप अपने अमेंडमेंट का पार्ट सेकिण्ड मूव करना चाहते हैं, उसके पहले मैं हाऊस में एक बात जाहिर कर दूं कि शायद यह क्लॉज़ १७ का जो सब क्लॉज़ (२) है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक मालूम होती है क्योंकि पेज पांच पर कमेटी की जो रिपोर्ट है, सिलेक्ट कमेटी को, उसमें साफ दर्ज है कि "The Committee have, therefore substituted the words 'lands reserved for the purpose' for the words 'the waste land of the village." तो this is in part (ii) of clause 17 on page 13. "To use lands reserved for the purpose of grazing his cattle and not......"to use the waste-land of the village" तो इसको इस तरह से पढ़ा जाय।

श्री भोलानाथ—श्री श्यामलाल जी का मकसद पूरा हो जाता है।

श्री सभापति—सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट की है वह इस तरह से होगी:— "(ii) to use lands reserved for the purpose of grazing his cattle and other domestic animals and......' "वेस्ट लेन्ड ऑफ दी विलेज" सिलेक्ट कमेटी ने काट दिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है इसलिये कठिनाई पैदा हो गई। इसको अब उपरोक्त लाइट में रख कर पढ़ा जाय और फिर कोई अमेंडमेंट हो तो उस पर विचार करना चाहिए।

श्री भोलानाथ—श्री श्यामलाल जी ने जो संशोधन रखा है उनका मकसद सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है उससे, मेरा ख्याल है कि पूरा हो जाता है। इसमें कुछ राय ऐसी मालूम पड़ती है कि वेस्ट लेन्ड भी रखा जाना चाहिये और फिर रिज़र्व लेन्ड करना पड़ेगा। वेस्ट लेन्ड का मतलब और किन्हीं पर्पजेज़ से है। ग्रेजिंग लेन्ड करना है तो ग्रेजिंग लेन्ड और किसी पर्पजेज़ से रखा जाता है। वेस्ट लेन्ड जो होता है उसमें घास नहीं उगता है, लेट्रिन्स उसमें होती हैं, या गांव के मवेशी उसमें खड़ी रहती हैं,

(श्री लालसिंह, शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

[श्री भोलानाथ]

और आम तौर पर ऐसी वेस्ट लेन्ड मवेशियों के खड़ी रहने के लिए होती है । "waste land of the village for grazing his cattle" तो जहां मवेशी इकट्ठी होकर खड़ी होती है उस जगह को गोरवाड़ी कहते हैं । अगर आप इसके लिए, क्योंकि लेन्ड जरूर होती है लेकिन उसको वेस्ट लेन्ड नहीं कहा जा सकता, दूसरा कोई उपयुक्त शब्द रखें तो मैं उसको मंजूर करने के लिये तैयार हूँ । वरना पहले वाला ही ठीक मालूम पड़ता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं ऐसा खयाल करता हूँ कि "to use village lands reserved for the purpose of grazing his cattle..." तो इसका करेक्ट वर्शन क्या है ? यह जानना पहले जरूरी है कि कौनसे अमेन्डमेंट को मंजूर किया गया ? क्या यह समझा जाय कि सब क्लॉज़ (२) का यह वर्शन होगा कि, "to use village lands reserved for the purpose of..."

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था और जो इस सम्बन्ध में डिस्कशन हुआ वह मैं आपको बतलाऊं ।

श्री चांदमल मेहता—मंत्री महोदय के जवाब देने के बाद में मिर्धा साहब किस हैसियत से बोल रहे हैं, यह साफ कर दीजियेगा ?

श्री भोलानाथ—जवाब का सवाल नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं यह कह रहा हूँ कि जब सुबह होती है और जब जानवर जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं तो गांवों के आस पास ऐसी जमीन पड़ी रहती है जिस पर न घास पैदा होता है, न उगता है; मुमकिन है कि थोड़ा बहुत उग जाय और जो थोड़ा बहुत घास हो वह मवेशी जो वहां इकट्ठे होते हैं उनके मुंह में आ भी जाय तो वेस्ट लेन्ड यहां रखने का मतलब यह है कि वह चौपाल की जमीन जो कि गांव के चौतरफ पड़ी रहती है उसको काम में लाने की आवश्यकता है । वहां न तो खेती होती है और न हो वह और कोई काम में आती है सिवाय इसके कि गांव से चौतरफ जो मवेशी आती है वहां इकट्ठा होती है, खड़ीहोती है । 'रिज़र्व' शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है । यदि इसको जोड़ते हैं तो फिर रिज़र्व का सवाल पैदा हो जायगा । वेस्ट लेन्ड है जो कि कोई काम में नहीं आती है सिवाय इसके कि गांव के मवेशी वहां इकट्ठी हों । इसलिये सिलेक्ट कमेटी ने जैसा रखा है वैसा ही रखा जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई झगड़ा भी नहीं रहेगा ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मुझे जो दिक्कत हो रही है वह यह कि जो एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट कमेटी द्वारा दिया गया है इस क्लॉज़ के ऊपर और जो क्लॉज़ यहां रखा गया है उसके सब क्लॉज़ (२) के मायने और वर्शन बिल्कुल विपरीत मालूम देते हैं । हम अब किस

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बात को करेक्ट समझें। गवर्नमेंट जब तक अपना ओथेन्टिव वर्शन हमारे सामने न रखे तब तक हम कोई अमेन्डमेंट ला नहीं सकते।

(विचार-विमर्श)

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, इसमें जरा थोड़ी देर हुई है वह इस वजह से हुई है कि जो क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी द्वारा सामने लाया गया और जिस तरीके से उसका रिपोर्टिंग हुआ है और जो बिल में मौजूद है उसमें थोड़े से शब्द ठीक ढंग से नहीं आये हैं। आपका सुझाव यह जरा ठीक मालूम पड़ता है "to use the waste-land of the village for grazing his cattle..." कोमन नहीं रहेगा। 'हिज' है यह भी डिलीट हो जाना चाहिये। ग्रेजिंग का जो शब्द है उससे पूरा काम नहीं चलता क्योंकि जो जमीन गांव के आसपास खाली रहती है वह केवल ग्रेजिंग के काम आती हो, यह बात नहीं है। उसके अन्दर मवेशी इकट्ठे होते हैं। ऐसी हालत में वेस्ट लेन्ड रखा जाय तो ठीक है "to use the waste land of the village for the purpose of grazing cattle and other domestic animals" इस तरह से यह हिस्सा आ जायगा। तो कोमन परपज़ है वह भी पूरा सर्व हो जाता है और ग्रेजिंग वर्ड हट जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह एक इम्पोर्टेन्ट मसला है, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है। इसके लिये गवर्नमेंट का ओथेन्टिक वर्शन होना जरूरी है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इसको हेल्ड अप कर दिया जाय दुबारा सोच विचार के लिये।

श्री भोलानाथ—इसकी ठीक शब्दावली हो जाय, इसके लिये इसको फिलहाल स्थगित किया जाता है। यह तो मालूम हो गया कि हाउस का यह विचार है कि विलेज लेन्ड रहना जरूरी है जो कोमन यूज़ के लिये हो। 'हिज पर्टीकुलर आबादी लेन्ड' जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं इसकी भाषा को ठीक ढंग से रखा जाय इसलिये इसको कल तक के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय पूरा का पूरा १७ क्लॉज़ फोर दी प्रेजेन्ट।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इसको आप पोस्टपोन करना चाहते हैं सो तो ठीक है। इसकी लैंग्वेज ठीक हो इस बात को कन्सीडर करने के लिये मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये उचित तो यह होगा कि सारा का सारा क्लॉज़ ही मुल्तवी कर दिया जाय। गवर्नमेंट फाइनली जिस शेप में इसको रखना चाहे वह शेप सामने आ जाय उसके बाद इस क्लॉज़ को लिया जाय। उस क्लॉज़ को आपके सामने रख दिया जायगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस पर कुछ कहना है तो कहिये। उस समय आप रिप्लाई की तौर पर जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सारे क्लॉज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—जब तक पहले का साफ नहीं है तो आगे गवर्नमेंट क्या प्रोपोज़ करती है तब तक के लिये इस सारे क्लॉज़ को ही पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १७ सारा का सारा ही पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १७ पोस्टपोन किया जाता है।

क्लॉज़ (१८)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ जो है और उसकी जो भाषा है वह इस प्रकार है :—

"Every tenant upon admission to a holding, shall be entitled to receive from his landholder a written lease consistent with the provisions of this Act in the prescribed form and containing the prescribed particulars."

और मेरे संशोधन यह हैं :—

"(a) In sub clause (i) substitute the words 'on demaud' for the words 'upon admission to a holding' and omit the words occuring at the end of the sub-clause 'and containing the prescribed particulars,' "

(b) In sub clause (2), at the end, omit the words 'in the prescribed form and containing the preocribed particulars."

(c) In sub-clause (3),insert the word 'obtaining' after the words 'suit for' "

पहला संशोधन रखने का कारण बिलकुल साफ है :

"Every tenant upon admission to a holding shall be entitled to receive from him......"

इसके लिये "upon admission" के बजाय "on demand" शब्द कर दिये जाएं।

अगर उसको जरूरत हो और मांगे तभी ऐसा करना उचित होगा। इस रूप में मेरा यह संशोधन है। और "Containing the prescribed particulars" को रखने की भी खास जरूरत

[श्री नाथूराम मिर्धा]

नहीं है क्योंकि जैसा वह लिखवाना चाहेगा वैसी बात लिखा सकता है। 'prescribed' करने की अब जरुरत नहीं है। इसलिये इन शब्दों को यहां से हटा दिया जाना चाहिये। अब सबक्लॉज़ (२) में जो मौजूद अभी है कि :

"upon delivering or tendering to a tenant such a lease as is mentioned in sub-section (1), the land-holder shall be entitled to receive from the tenant a counterpart thereof in the prescribed form and containing the prescribed particulars"

इसके लिये भी मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "At the end omit the words 'in the prescribed form and containing the prescribed particulars.'"

क्योंकि जो शब्द ऊपर के क्लॉज़ में भी हटाने की बात कही हैं वे ही शब्द नीचे भी रखते हैं। इनको भी हटा देना चाहिये और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से एक लीज़ कहिये या और कुछ कहिये करना चाहता है तो उसका तरीका कानूनी हो सकता है और अगर आप इस अन्डरस्टेन्डिंग पर आ सकते हैं तो My third amendment is in sub-clause (3). यह जो मौजूदा क्लॉज़ है वह इस तरह से है "If a lease or counterpart is not received by the person entitled to receive it under this section, he may bring a suit for such lease or counterpart, as the case may be." तो इसमें मेरा सुझाव यह है कि "Insert the word 'obtaining' after the words 'suit for'." इसमें एक वर्ड ओब्टेनिंग और जोड़ दिया जावे। इससे भाषा जरा और साफ हो जावेगी।

ये मेरे तीन छोटे छोटे संशोधन हैं जो हर क्लॉज़ में मैंने रक्खे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये मन्जूर किये जावेंगे।

डा० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी. ये जो माननीय मिर्धाजी ने अमेंडमेंट रक्खे हैं उनके मुतल्लिक एक-दो शब्द मुझे भी कहने हैं। वे ये हैं:– आप 'अपोन एडमिशन' के बदले में 'ओन डिमान्ड' शब्द रखना चाहते हैं तो इसमें मुझे यह डर है कि इसमें कम्प्लीकेशन हो जावेगी। अगर कोई काश्तकार रिटन लीज़ का हकदार हो सकता है तो होल्डिंग के एडमिशन पर ही हो सकता है। बगैर होल्डिंग के एडमिशन किये, वह कैसे लीज का हकदार हो सकता है ? वह इसके बगैर लीज का हकदार नहीं हो सकता। इसलिये यहां यह मेरे खयाल से ठीक नहीं जंचता। अगर यह अमेंडमेंट रहे भी तो इस शक्ल में रहे : "Every tenant after admission to holding on demand shall be entitled to receive from his landholder"...so on and so forth. लेकिन एडमिशन ओन होल्डिंग हो और जरूर हो तभी हकदार हो सकेगा और जहां होल्डिंग ओन एडमिशन हो जावेगा तो डिमान्ड पर लीज पाने का हकदार होगा। पर यह चाहे कि होल्डिंग पर एडमिशन हो या न हो, पर लीज का हकदार हो जावे तो इससे कन्ट्राडिक्शन ऑफ टर्म्स हो जावेंगी

Page No.59

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

इसलिये कि टीनेन्ट प्रोस्पेक्टिव टीनेन्ट भी है उसके काबू में जमीन भी है इसलिये क्लीयर तो यह होगा कि "Every tenant after admission to a holding on demand shall be entitled......"

मेरा खयाल ऐसा है और आशा है कि इस पर आप गौर फरमावेंगे ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन की, जो कि क्लॉज़ १८ सब क्लॉज़ (१) में रक्खा गया है, सही मंशा यदि यह है कि जो टीनेन्ट अभी काबिज है उनके यह मांग करने पर कि उन्हें लीज़ का काउन्टरपार्ट दिया जावे तो उन सब को दे दिया जावे तब तो यह मंशा संशोधन से पूर्ण हो जाती है कुछ अंशों में, और अगर यह मंशा नहीं है और यह है कि काश्तकार जब मांगे तब दिया जावे अन्यथा नहीं, तो उससे यह मंशा कभी पूरी नहीं होती ।

यदि इस संशोधन को रखा जावे और स्वीकार किया जावे तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक टीनेन्ट आज यदि चाहे तो उसको वह रिटन लीज़ दी जावे । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट से बहुत पहले से ऐसी लीजेज़ हो सकती हैं जो कभी हुई न हों । उनके जुबानी ही चीजें हैं और जो कई सूरतों में तो ऐसा भी हो सकता है कि यह कस्टमरी है । तो ऐसी सूरत में एक विचित्र स्थिति पैदा होगी कि वह टीनेन्ट डीमान्ड करे और जब कि कोई रिटन लीज़ हो ही नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि उसे उसका काउन्टर पार्ट दिया जावे ।

दूसरी बात यह है कि इसको यों ही रख दिया जावे और ओन डीमान्ड का संशोधन न रक्खा जावे, तो यह बहुत ज्यादा फायदेमन्द चीज हो सकती है । वह यह कि काश्तकार जब किसी होल्डिंग पर एडमिट किया जाता है तो उसका अधिकार है कि वह लीज़ को प्राप्त करे । लेकिन ओन डिमान्ड से यह मतलब है कि जब मांगे तब दे, अन्यथा नहीं । तो इससे तो कोई लाभ होने की गुंजाइश नहीं है बल्कि पहले वाला क्लॉज़ ज्यादा उदार है । पर अगर यह मतलब है कि इस एक्ट से लागू होने से पहले काउन्टर फोइल ऑफ लीज को प्राप्त करने का अधिकार हो तो मेरा यह अर्ज करना है कि उन लीज के या लीजेज़ के विषय में क्या जो रिटन नहीं हैं और जो इनकन्सिस्टेन्ट हैं; इससे इनकन्सिस्टेन्सी होगी वह तो अपने आप ही इस एक्ट के लागू होने के साथ रद्द हो जावेगी । ऐसी सूरत में मेरा यही निवेदन करना है कि यह संशोधन न माना जाय तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा—'ओन डिमान्ड' के अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ । दूसरे जो हैं वे तो रहेंगे ही ।

श्री भोलानाथ—जैसा कि जाहिर मालूम होता है कि नाथूरामजी ने जो अपना पहला अमेंडमेंट रक्खा है उसको तो वे वापिस ले रहे हैं ।

Page No.60

[श्री भोलानाथ]

दूसरे में जो उन्होंने ओमीशन रक्खा है कि .."in the prescribed form and containing the prescribed particulars." यह ठीक मालूम होता है इसका ओमीशन। इसको मैं मन्जूर करता हूँ और 'सी' वाला जो संशोधन है वह कोई खास है नहीं, 'विदाउट ओब्टेनिंग' के भी काम चल सकता है।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है कि चेयर को एड्रेस किया जावे तो ठीक रहेगा।

श्री भोलानाथ—I think he will withdraw his amendment in (c) para.

श्री जवानसिंह—वे विथ्ड्रा नहीं कर रहे हैं। मत ले लिये जावें।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ।

'एवरी टीनेन्ट' वाला इसमें जो सब क्लॉज़ (१) है वह यह है:'—'Every tenant, upon admission to a holding, shall be entitled to receive from his land-holder a written lease consistent--" यह तो सेक्शन है इसको गवर्नमेंट ने exemptनहीं किया। यह अधिकार गवर्नमेंट दूसरे शख्स को बतलावे तो इस केस में भी इस क्लॉज़ के माफ़िक यह जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको लीज दी जावे और गवर्नमेंट उस काश्तकार से काउन्टरपार्ट ऑफ़ लीज़ ले।

मैं यह समझता हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है सब जगह चकबन्दी है। बल्कि होता क्या है कि एक पर्चा दे दिया जाता है और वह वहां उसको खातेदारी के लिये सफीशियेन्ट माना जाता है। तो मैं यह समझता हूँ कि इसमें अगर "other than the State Government" बढ़ा दिया जावे; तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि काउन्टर-पार्ट ओफ लीज दे, वरना अगर यह नहीं बढ़ाया जाता है तो उस सूरत में यह जरूर हो जावेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी लीज़ देनी पड़ेगी और काउन्टरपार्ट ऑफ़ लीज लेनी पड़ेगी और यह दिक्कत की बात होगी। तो इसलिये यह तय कर लिया जावे कि आया मेरी यह डिफिकल्टी इससे कवर हो जावेगी या क्या होगा। इसके बाद जो मुनासिब समझा जावे वह कर दिया जावे।

श्री भोलानाथ—तो क्या गवर्नमेंट को लेन्ड होल्डर मानेंगे?

श्री श्रीदास गोयल—हां है, गवर्नमेंट लैन्ड होल्डर।

Page No.61

श्री भोलानाथ—लेन्ड होल्डर में गवर्नमेंट को लैंड होल्डर माना गया है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बतलाता हूँ कि सेक्शन में दिया गया है कि—

"In respect of land held by tenants directly from the State Government the provisions of this Act shall apply, unless expressly provided otherwise, as if the State Government were the landholder acting through the Tehsildar"

तो स्टेट गवर्नमेंट भी लैंड होल्डर है और लेन्ड होल्डर के हिसाब से तो लीज़ देना और रिटन लीज़ लेना जरूरी हो जायगा। तो मैं यह समझता हूं कि यह मन्शा इस दफा की नहीं है। इसलिए "Every tenant upon admission to a holding shall be entitled to receive from his land-holder other than the State Government a written lease consistent with the provisions of this Act in the prescribed form and containing the prescribed particulars." यह सुझाव मान लिया जाय तो बहुत सी डिफीकल्टी दूर हो जायगी।

श्री भोलानाथ—लिखकर दीजिये।

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि अभी यह अमेन्डमेंट मूव किया गया है या अभी तक यह सुझाव के रूप में है?

श्री उपाध्यक्ष—एमेन्डमेंट के रूप में है।

श्री गोपीलाल यादव—गवर्नमेंट अब भी देती है लीज़। यह तो बड़ा गलत है। गवर्नमेंट को लीज़ जरूर देना चाहिये और आज भी गवर्नमेंट जो कोई जमीन किसी काश्तकार को देती है तो वह लीज़ ले रही है और अब हम कह रहे हैं कि लीज़ हटा दिया जाय। जो परिपाटी ५०-१०० वर्षों से चली आ रही है उसको हटाना चाहते हैं और हटाने के कारण क्या हैं, फायदा क्या होगा सिवाय इसके कि कुछ लोगों को मौका दें कुछ धांधलीबाजी करने का। आज गवर्नमेंट ने किसी को लीज़ दी है तो केवल लीज़ को लेकर पहुंच जाता है कि पिछले साल काश्त की थी, मेरी यह लीज़ है। अब आगे हटाया जा रहा है तो वे कह देंगे कि हमने तो दी ही नहीं। हमारे यहां एन्ट्री कागजात पटवार में हो गई है तो गलत हो गई है। इसलिये लीज़ गवर्नमेंट को और हरेक को देना लाजमी है। इसमें तब्दीली करना गलत होगा।

श्री भोलानाथ—मैं पहले संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं और दूसरा संशोधन मुझे मंजूर है, तीसरा भी मन्जूर है। अब इसको मत के लिए रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पहले तो इस संशोधन को फोर्म में लिया जाय या सारा लिया जाय?

श्री भोलानाथ—'On demand' for the words 'upon admission to a holding' and 'containing the prescribed particulars' तो इसमें से 'प्रेस्क्राइब्ड पर्टीक्यूलर्स' हटा दिया गया है; (बी) में से भी इसलिये उतना हिस्सा इसका रह गया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किये हैं उनमें से पहला संशोधन, जो 'ओन डिमान्ड' का है उसको वापिस ले लिया हैं, प्रेस नहीं किया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, 'ओन डिमान्ड' के काटने के बाद बताता हूं कि 'Every tenant upon admission to a holding' यह भी डिलीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इतना सारा ही हटा रहे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—तब तो 'On demand' आवश्यक है और 'upon admission to a holding' कायम रखते हैं तो 'On demand' आवश्यक नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—'ओन डिमान्ड' के मायने क्या हैं?

"He shall be entitled......"

इसके मायने यह हैं कि उसको मिलना चाहिये, डिमान्ड करे तो भी मिलना चाहिये और डिमान्ड नहीं करे तो भी लेन्ड होल्डर की ड्यूटी है कि वह उसको दे दे। तो 'ओन डिमान्ड' फिर....

एक माननीय सदस्य—यही बात उन्होंने मानी थी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपने 'ओन डिमान्ड' की सिग्नीफिकेन्स नहीं समझी।

श्री गोपीलाल यादव—बतलाइये।

एक माननीय सदस्य—'ओन डिमान्ड' एड किया है। आज जब कि जागीरें एबोलिश हो रही हैं, सेटिलमेंट के परचे दिये जा रहे हैं, उसके पहले से काश्तकार लोग जागीरदारों की जमीनें काश्त करते थे और उनके पास पट्टा नहीं है। जब वे वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं तो उनका अधिकार है कि जागीरदारों से पट्टा मांगे और उन्हें पट्टा देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। यह सेक्शन है 'ओन डिमान्ड'।

श्री गोपीलाल यादव—काश्तकार लोगों को लेना पड़ेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—'ओन डिमान्ड' का मतलब यह है कि इसमें वहां यह रखा गया। अगर यह प्वाइन्ट है ··

श्री गोपीलाल यादव—फिर तो यह होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ये सुन तो लीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष—Let him speak first.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—पोजीशन यह है कि अगर "Every tenant on demand shall be entitled to receive from his land-holder a written lease consistent with the provisions of this Act." 'Upon admission to a holding' आवश्यक नहीं है तो 'Every tenant on demand.........' कर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट पर भी एप्लाई करे और फ्युचर पर भी एप्लाई करेगा, बल्कि 'टिनेन्ट ओन डिमान्ड' मौजूदा सूरत में लिखा हुआ है उसको ही स्पष्ट करके लिया जायगा। आज एक काश्तकार है वह किसी जमीन पर काश्त करने जा रहा है तो प्रेजेन्ट वर्डिंग के मुताबिक वह मांग सकता है कि लाओ मुझे भी पट्टा दो। एक काश्तकार पीढ़ियों से एक जमीन को काश्त करता आ रहा है वह किस तरह से पट्टा मांगेगा। एक काश्तकार ४ साल से एक जमीन पर काश्त करता आ रहा है उसे पट्टा किस कानून से दिलवायेंगे, कैसे व्यवस्था की जायगी? इसलिये यह लफ्ज़ 'ओन एडमिशन' को ओमिट कर दिया जाय, बल्कि "Every tenant on demand shall be entitled to receive from his land-holder" यह बड़ा जरूरी है। मौजूदा काश्तकार जिनके पास पट्टा नहीं है और काश्त वर्षों से करते चले आ रहे हैं जिनको कि पट्टा लेने का अधिकार है उनको पट्टा लेने की व्यवस्था के लिए इस एक्ट के रूल में जो अमेन्डमेन्ट श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है वह वाजिब है।

श्री भैरोंसिंह—जो माननीय मित्र ने संशोधन रखा है वह वापिस ले लिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा—वापिस नहीं लिया है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, जब यह रखें कि 'ओन डिमान्ड', अगर जो कुछ मेरे मित्र करना चाहते हैं उसको भी कर लिया जाय तो वह इस तरह से होगा।

"Every old tenant on demand and every new tenant upon admission to a holding shall be entitled to receive from his landholder"; अगर वह ओल्ड टेनेन्ट को 'ओन डिमान्ड' लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा "Every old tenant on demand and every new tenant upon admission to a holding shall be entitled to receive from his landholder"; तब तो इनकी सेन्स क्लियर हो जाती है। अगर वह यों ही रखते हैं : "Every tenant upon admission to a holding."

[श्री गोपीलाल यादव]

तो बहुत गलत संशोधन हो जाता है जिसके कोई मायने नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र नाथूरामजी अगर "ओन डिमान्ड" का टिनेन्ट से संबंध रखना चाहते हैं तो मेरा यह संशोधन और मान लिया जायः

"Every old tenant on demand and every new tenant upon admission to a holding shall be entitled to receive from his land-holder a written lease........."

यह ठीक सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मानेगें तभी आपका मतलब हल हो जायगा।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जब मैं आरग्यूमेंट कर रहा था तो मुझे बीच में इस आश्वासन पर बिठाया गया था कि वे इस एमेंडमेंट को विद्ड्रा कर रहे हैं। अब मालूम ऐसा होता है कि वे विद्ड्रा नहीं कर रहे हैं। अगर यही बात है तो मुझे इजाजत दी जाय कि भाषण जारी रखूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संशोधन है उससे यह स्पष्ट मंशा प्रकट होती है कि "Every tenant on demand shall be entitled to receive from his land-holder......" इसका मतलब यह है कि कोई भी काश्तकार अब यदि यह मांग करे कि उसको रिटन लीज़ मिलनी चाहिए तो उसे हक है कि उसको रिटन लीज़ मिले। लेकिन इस बारे में मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि आज ऐसे सैकड़ों और हजारों काश्तकार होंगे जिनके और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई रिटन लीज़ है ही नहीं। कई ऐसे काश्तकार होंगे जिनके पास जमीन ओरल लीज़ पर है जिसके मुताबिक वे उस जमीन पर काश्त करते हैं और रिवाज़ के माफिक उपज का आठवां हिस्सा या चौथा हिस्सा देते आ रहे हैं। अब यदि इसे लागू करने पर उनको हक दिया जाता है कि रिटन लीज़ डिमान्ड करने पर उनको मिले तो टिनेन्ट्स डिमान्ड करेंगे कि हमको लीज़ मिले, लेकिन जहां लीज़ है ही नहीं वहां किस प्रकार लेंडलोर्ड पैदा करके उनको जन्म देकर लीज़ देगें, यह बात समझ में नहीं आई। यदि आपकी यह मंशा है कि पुराने काश्तकारों को भी ऐसी लीज़ मिलनी चाहिये तो इसके लिये अलग प्रोविजन रखना चाहिये और अलग प्रोविजन करना होगा कि जिसके माफिक रिटन लीज़ लिखकर देनी पड़ेगी, या जिनके पास नहीं है उनको छोड़ा जाय। नहीं तो आप यह डिमान्ड करेंगे कि रिटन लीज़ दें; वे कहां से लायेंगे यह समझ में नहीं आया।

दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि नये काश्तकारों को रिटन लीज़ मिलनी चाहिये upon admission to a holding और ओन डिमान्ड तो ये शब्द हटाने नहीं चाहिये और 'ओन डिमान्ड' रखना चाहिये क्योंकि पहले 'ओन डिमान्ड' रखने से और otherwise 'on demand' should not be kept and original clause be kept as it is; अच्छा यह होगा 'ओन डिमान्ड' रखा जाय और पहले है वैसा रहने दें।

श्री हिम्मतसिंह—मैं एक बात डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। जिस बात पर बहस हो रही है और रिटन लीज़ देने का सवाल है उस बारे में मेरा निवेदन यह है कि पुराने कोटा स्टेट में इस तरह का कत्तई रिवाज नहीं है। न तो ऐसा रिवाज खालसा की जमीन के लिये है और न जागीर की जमीन के लिये है। कहीं भी इस उसूल को फाँलो नहीं किया जाता है। तो क्या इसका मतलब यह होगा कि सब को फिर से पट्टा देने की कार्यवाही की जायगी। हमारे रेकॉर्ड्स में जो चीज दर्ज हैं वह एनरिलाइबल नहीं है। आप उनको मानेंगे या नहीं? आप यदि यह डिमान्ड लगाते हैं तो यह मामला बहुत कांप्लीकेटेड हो जायगा और बहुत दिक्कत हो जायगी। किस तरह से इतने तमाम काश्तकारों को पट्टे दिये जायेंगे? इसलिये 'ओन डिमान्ड' की कांप्लीकेशन आप पैदा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, "Every tenant upon admission to a holding" की जगह: "on demand, shall be entitled to receive from his land-holder a written lease, etc." रखा जाय।

इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि जैसा कि माननीय कपिलदेवजी को कठिनाई आई थी, 'ओन डिमान्ड' इसलिये रखा गया है कि जो काश्तकार पुराने हैं और जिनके पास लीज नहीं है और जिनके लिये व्यर्थ में सन्देह पैदा होता है तो उनको यह अधिकार हो कि उनको तलब करने पर पट्टा मिले, ऐसी चीज है। आगे जाकर नये टिनेन्ट्स होंगे उनको भी पट्टा मिल सकता है जैसा कि श्री यादव जी ने एक्सप्लेन किया। 'ओन डिमान्ड' रखने से काश्तकारों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वे पहले पट्टा मांगे। पहला एक्शन यह होता है कि काश्तकार डिमान्ड करे कि पट्टा दिया जाय और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसको पट्टा मिलेगा नहीं। मेरा यह सुझाव है कि "upon admission to a holding"; ऊपर जो श्री मिरधाजी ने रक्खा है "ओन डिमान्ड" को भी नहीं रखा जाता है और केवल यह शब्द रखा जाता है Every tenant shall be entitled to receive from his land-holder a written lease........." तो तमाम मतलब पूरा हो जाता है, पुराने लीज का काम निकल जाता है और नये को कठिनाई नहीं होती है और एक स्वस्थ क्लॉज़ बन जाता है। मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों को हटाया जाय और इस क्लॉज़ को इस तरह से पढ़ा जाय: "Every tenant (without the words 'upon admission to a holding' and without the words 'on demand') shall be entitled to receive from his land-holder a written lease consistent with the provisions of this Act in the prescribed particulars"

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय श्री नाथूरामजी के अमेंडमेंट पर मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। 'ओन डिमान्ड' का जो प्रोविजन नया एड करने की तजवीज पेश की गई है वह मेरे ख्याल से पहले ही कर देनी चाहिये थी। यह कहा जाता है कि पुराने काश्तकारों को पट्टा किस तरह मिलेगा। मेरा निवेदन है कि उनको पट्टा मिलने की आवश्यकता ही क्या है। यह जो एक्ट बन रहा है वह उनके लिये एक तरह का पट्टा ही है। इस एक्ट के कमेन्समेन्ट से वे खातेदार बन जायेंगे। ऐसी हालत में नया प्रोविजन रखने से सिवाय वकीलों के पीछे पीछे फिरते रहने

[श्री शम्भूसिंह]

और उनकी आमदनी बढ़ाने के और कोई नयी बात समझ में नहीं आती। यह एक्ट ही एक बडा पट्टा है। नये काश्तकार जो बनने वाले हैं उनके लिये भी यह पट्टा ही है और पुरानों के लिये भी है। नया अमेंडमेंट काश्तकारों को वकीलों के चक्कर में फंसाने की तरकीब है इसलिये जो है वही रहना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, श्री श्रीदासजी गोयल ने जो सुझाव दिया है "delete the words 'upon admission to a holding' " ये शब्द मैंने पहले भी कटवा दिये थे। उनका सुझाव यह है कि 'ओन डिमान्ड' हटा दिया जाय। मेरे ख्याल से वास्तव में यह पोइन्ट ज्यादा सही है। पट्टे का, जो कोई भी किसान है उन सब को हक होना चाहिए ; चाहे नया किसान हो या पुराना, यदि वे लीज मांगते हैं तो उनको मिलने का अधिकार होना चाहिये। श्री श्रीदासजी का जैसा सुझाव है वैसा कर दिया जाय।

श्री जवानसिंह—यह समझ में नहीं आता कि एक वक्त एक संशोधन पेश हुआ, उसके बाद उसको वापिस लेने की अनुमति चाही। फिर यह निवेदन किया कि मैं वापिस लेना नहीं चाहता और अब फिर वही माननीय सदस्य निवेदन कर रहे हैं कि मुझे वापिस लेने की अनुमति दी जाय। मेरी समझ में यह नहीं आता कि रूल्स ऑफ प्रोसिजर के खिलाफ कार्यवाही कैसे हो रही है ? इस प्रकार की कार्यवाही करना मेरे ख्याल से कतई ठीक नहीं है। इसलिये ज्यादा गंभीरता बरती जाय तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा।

श्री भोलानाथ—आपके दोनों मतलब पूरे हो गये, यह विद्ड्रा हो गया।

श्री जसवन्तसिंह—विद्ड्रा हो गया या नया अमेंडमेंट मंजूर कर लिया गया ?

श्री भोलानाथ—जो वर्ड्स हटाना चाहते थे वे हटा दिये गये। 'On demand' का amendment has been withdrawn. Therefore ओन डिमान्ड खुद में हट गया है। 'Upon admission to a holding' has been deleted.

श्री तनसिंह—शब्दों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है ; कौनसा शब्द रहना चाहिये और कौनसा हटना चाहिये। जब हम बहस करने के लिये बैठे हैं तो निश्चित चीज हमारे सामने आनी चाहिये, जिस पर हम विचार कर सकें। कभी कोई चीज आती है तो कभी कोई चीज आती है। हमारे सामने लिखी हुई चीज नहीं है। मेरा सुझाव है कि या तो अमेंडमेंट पेश करें तो तैयार होकर आवें और पहले सर्कुलेट हो जाय तो हम भी तैयार होकर इस पर विचार कर सकें। यहीं बैठे बैठे मन में आता है वैसे ही सुझाव रख देते हैं और बोल देते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो अमेंडमेंट रखना हो वह पहले दे दिया जाय तो हमको उस पर विचार करने का, समय का उपयोग करने का मौका मिल जाय।

Page No.67

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, श्री जवानसिंहजी और तनसिंहजी ने जो बातें कहीं हैं वे सही हैं। श्री नाथूरामजी ने मुझे कहा है कि मैं उनकी तरफ से उनसे क्षमा मांगू।

श्री हिम्मत सिंह (ग्रटरू)—मैं समझता हूँ कि श्री श्रीदास गोयल ने जो अमेंडमेंट सुझाया है उसीको मंजूर किया जावे, तो क्यों नहीं उनकी तरफ से अमेंडमेंट ले लिया जावे ?

श्री श्रीदास गोयल—श्री मिर्धाजी ने यह अमेंडमेंट रखा है कि "upon admission to a holding" को हटाकर " on demand " जोड़ दिया जावे ; यह चाहते हैं वे।

श्री जसवन्त सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह तो आज की प्रोसिडिंग्ज बड़ी कन्फ्यूज़िंग और बड़ी वैसी हंसी हो गई। एक अमेंडमेंट का एक हिस्सा मंजूर करते हैं तो दूसरा हिस्सा नहीं करते हैं, आधा मंजूर कर लेते हैं, आधा विद्रड्रा कर लेते हैं। मैं नहीं समझता कि यह मिर्धाजी के बस की बात है कि वे एक साथ हॉट और कोल्ड (hot and cold), एक साथ फ्लो कर सकते हैं। मिर्धाजी एक ही सांस में आधा हिस्सा ठन्डी सांस का और आधा हिस्सा गरम सांस का कैसे ले सकेंगे।

श्री मोती लाल चौधरी—नाक के दो सुराख हैं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—अच्छा यह हो कि सीरियसली इन बातों को लेकर गोयलजी का जो अमेंडमेंट है उसको लिया जावे और मिर्धा जी अपना अमेंडमेंट वापिस लें लें। आधा मान लिया, आधा छोड़ दिया, इससे तो गड़बड़ी होगी।

श्री भोलानाथ—अमेंडेड फोर्म में अमेंडमेंट मान लीजिये, जो रह गया है उसे छोड़ दीजिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यही कीजिये।

श्री भोलानाथ—कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास जी गोयल की तरफ से जो अमेंडमेंट है उसको श्री नाथूराम जी मंजूर करते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—श्री मिर्धाजी का अमेंडमेंट है :

" In sub clause (1) substitute the words ' on demand ' for the words 'upon admission to a holding' "

इस अमेंडमेंट में एक दूसरा अमेंडमेंट करने का सुझाव किया गया है, वह यह है : ' In sub clause (1) substitute the words 'on demand' "

Page No.68

[श्री गोपीलाल यादव]

इनको तो छोड़ दिया जाय, "delete these words." इतना ही रहे।

"In sub clause (1) delete the words 'upon admission to a holding"

"on demand" वाला इनका अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के ये वर्ड्स हैं।

"substitute the words 'on demand'"

वह तो छोड़ दिया जाय, बाकी इससे काम हल हो जाता है।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—अभी जो दो प्रकार के संशोधन आये उनमें से एक संशोधन है :

"upon admission to a holding"

इनको हटा दिया जाय और 'ओन डिमान्ड' किया जाय। जिन महाशय ने 'ओन डिमान्ड' शब्द रखने का अपना आशय बताया था वह मंशा यह थी कि पहले के पुराने काश्तकार हैं जिनको कोई पट्टे नहीं दिये गये हैं वे भी पट्टों के लिये डिमान्ड कर सकें।

पर इसका रजिस्ट्रेशन से भी ताल्लुक है।

"19. (1) Every lease for period exceeding one year or from year to year or for reclaiming land and every conterpart of such a lease shall be made by a registered instrument only."

तो अब हमें यह सोचना पडेगा कि जो पुराने काश्तकार हैं, पुराने पट्टेदार हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ? फिर उसे लीज की आवश्यकता नहीं रहती। जिसका एक साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वह लीज बेकार होगी। यदि इस साल का काश्तकार है, उसकी गई साल की भी काश्त थी तो गई साल काश्त करने से दो साल का काश्तकार हो गया, पर लीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन का सिस्टम एक साल के लिये लागू होता है, अगले साल का रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता।

"upon admission to a holding" का सम्बन्ध क्लॉज १९, रजिस्ट्रेशन से है और अच्छा सिस्टम है 'upon admission to a holding' को हटाने की आवश्यकता है, रखने की

[भैरोंसिंह]

आवश्यकता नहीं । 'ओन डिमान्ड' का कोई असर नहीं। यदि दर असल लीज़ के सिस्टम से काश्तकारों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी दिक्कतें आयेंगी। दो साल से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

दो चीजों में से एक चीज को अस्वीकार करदें और "upon admission to a holding" को मंजर कर लें तो यह अच्छा क्लॉज़ होगा।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस के सामने श्री श्रीदास गोयल की तरफ से जो अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ, अभी भैंरूसिंह जी जिस पर बोलें थे वह यह है :—

" In sub clause (1) delete the words ' upon admission to a holding' "

श्री जवान सिंह—यह क्या नया अमेंडमेंट रखा है ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—जैसा है वैसा ही रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अमेंडमेंट हैं, हाउस के सामने नया अमेंडमेंट लाने का मतलब यह है कि किसी को कहना हो तो कह सकें, जो बोलना चाहें वे बोल सकें, नहीं तो एतराज किया जाता है।

मिनिस्टर इन्चार्ज !

श्री भोलानाथ—श्री श्रीदास जी का अमेंडमेंट मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—Deletion of ' upon admission to a holding ' from sub-clause (1).

". Every tenant shall be entitled......" After this it will read like this......

कुं० श्री जसवन्त सिंह—इम्प्लीकेशन क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर इन्चार्ज एक्सप्लेन करें।

श्री भोलानाथ—मेरा ख्याल है कि श्री जसवन्त सिंह जी को जो एतराज मालूम पड़ता है वह यह है कि यदि फोर्मल कार्यवाही के लिये नाथूरामजी के अमेंडमेंट में नया अमेंडमेंट प्रोपोज़ होता है तो यह कार्यवाही बेकार नजर आती है। अपोन एड्मिशन टू ए होल्डिग को हटाना चाहते हैं, ओन डिमान्ड इसमें हट जाता है तो भाषा के ढंग से जरा बेजा है।

श्री गोपीलाल यादव—सिलेक्ट कमेटी ने अपोन एड्मिशन टू ए होल्डिंग पर काफी विचार किया और इसको क्यों रखा था, इसको मैं बता देता हूँ। उसकी मंशा यह थी कि लैंड लोर्ड्स और टिनेन्टस के बेईमानी के झगड़े होते हैं, लैंड लोर्ड्स लीज नहीं देते। बेईमानी लैंड लोर्डस तक ही नहीं आज कल तो टिनेन्टस में भी फैल गई है। जो टिनेन्टस नहीं हैं लैंड लोर्डस हैं वे कहते हैं कि मैं टिनेन्ट हूँ, २-४ साल से इस जमीन को जोतता था। तो आगे के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया था कि 'अपोन एड्मिशन टू ए होल्डिंग' के पट्टे ले लें। दो चार साल बाद "upon admission to a holding he shall receive the lease." और अगर एडमिट कर लिया और लीज नहीं दी तो उस वक्त दो महीने, तीन महीने के अन्दर वह सूट लाये, he must bring in a suit... तो माननीय उपाध्यक्ष, भविष्य में किसी आदमी को बेईमानी करने का मौका नहीं मिले इसलिये एक टीनेन्ट को लीज़ देना चाहिये और अगर न दे तो उसको डिमान्ड करना चाहिये और अगर वह डिमान्ड नहीं करता है तो वह उतना ही फॉल्ट में है जितना टीनेन्ट या लेन्ड लोर्ड नहीं देता है वह कुसूरवार होता है। इसलिये पुराने सारे लीज़ हैं...."upon admission to a holding." इससे भविष्य में लिटिगेशन कम हो और जिस वक्त एक आदमी को मकान या जमीन बकायदा दी जाती है तो लिख कर देता है और अगर वह नहीं देता है तो लेने वाले को नहीं लेनी चाहिये और अगर ले लेता है तो उसको लेकर उसके बाद में उसके लिये सूट करें और कहे कि वह हमें लीज़ नहीं दे रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इस पर अभी श्री यादवजी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं और भाषण दिया है वह वाद-विवाद के ढंग का है। कानूनी राइट्स के फन्डामेंटल प्रिन्सिपल्स यह हैं कि जो कानून जिस तारीख से अमल में आवेगा उसका अमल शुरू होगा और उसी दिन से प्रोविजों को एप्लीकेबल मान लिया जावे। आपने पुराने लीज़ की बात कही। आपने कहा कि जिसको ४ या ५ साल का लीज़ है उसका क्या होगा? मान लें कि उसका अब एक साल हो रह गया है। वह उससे लीज़ ले सकता है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके लिये मैं समझता हूँ कि कोई कठिनाई नहीं होती।

अब सवाल यह है कि भविष्य में झगड़े (upon admission to a holding) को बन्द करने की बात तय हो जाती है। बहुत से ऐसे लीज़ हैं जो २० साल के लिये हैं। उनमें से १० साल पूरे हो गये, दस साल रहे हैं। काश्तकार अगर इस एक्ट के बनने के बाद चाहे तो पट्टा ले ले। उसमें कठिनाई क्या हो सकती है? माननीय यादवजी ने कहा कि वह आगे जाकर सूट फाइल करे, नहीं तो क्लॉज़ १८ पर फाइल होगा "upon admission to a holding वहां तक future के lease एप्लीकेबल हैं। पुराने में जब ये शब्द डिलीट किये उनका अर्थ ...टेक्निकेलिटिज़ में न पड़कर हमने 'upon admission to a holding' को डिलीट कर दिया है और पुराने और नये टीनेन्ट, दोनों को, हितकर होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न यह है कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जावेगा या नये सिरे से लागू किया जावेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा—(अश्रव्य)

कुं श्री जसवन्तसिंह—इससे साफ प्रकट नहीं होता कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। हम इस सम्बन्ध में कुछ authoritative statement चाहते हैं।

श्री भैरूसिंह (१६)—अनऑथोरइज्ड......

कुं श्री जसवन्तसिंह—यह तो हम जानते हैं कि यह गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड एमेंडमेंट है। लेकिन फिर भी माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूँगा कि एमेन्डेड प्रोविजो के माफिक आपकी क्या मंशा है? क्या आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं? और अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि पुराने सारे लीज़ बेकार हो जावेंगे और भविष्य में ही टिनेन्ट्स के लिये यह लाना चाहते हैं तो दुरुस्त है। कृपया माननीय मंत्री बतावें की उनकी क्या मंशा है? क्या सरकार श्री भैरूसिंहजी के एमेंडमेंट को मानने के लिये तैयार है? अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा तो लाखों की तादाद में पुराने लीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा और यह इम्प्रेक्टीकेबल होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा खयाल है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने, न देने के बारे में यह इश्यू नहीं है। एग्ज़िस्टिंग fact जो है पहले का हो या बाद का हो उसको डॉकुमेन्ट्री effect देने के लिये हम तैयार हैं This is the only point. अगर पहले से ही है तो इस एक्ट के पास होने से वही स्टेटस उसको मिल जावेगा। If the fact is not in existence...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कैसे मिल जावेगा? What fact?

श्री हरिकृष्ण व्यास—That he is holding this thing as a tenant under the existing conditions. अगर वह फर्जी है तो उसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गोपीलाल यादव—यह ठीक नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why should they anticipate as far as the fact is concerned?

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे खयाल से इसमें ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं है। श्री जसवन्तसिंहजी चाहते हैं कि इस पर स्टेटमेंट हो। मैं यह कहूँगा कि 'एन्टाइटल' शब्द होने से यह साफ है कि जो अपने हक को काम में लाना चाहे ला सकता है और लीज़ हासिल करना चाहे करेगा। वह पहले भी मजबूर कर सकता था। अगर वह नहीं करना चाहता तो नहीं करे और करना चाहता है तो कर सकेगा। अब एन्टाइटल होने से साफ है, अगर वह कोशिश करेगा तो उसको मिल जाने चाहिये। एन्टाइटल शब्द से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसका हक है उसको एक्सरसाइज़ करना चाहिये: "upon admission to a holding" वह हटा दिया जाने से

[श्री भोलानाथ]

पोजिशन साफ हो जाती है। जो हकदार हैं उनको हक मिल जावेगा और जो कानूनी कमी है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री श्रीदासजी का अमेंडमेंट इसके लिये वाजिब है और मैं इसको मंजूर करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इससे लिटिगेशन को बढ़ाना होगा और कुछ फायदा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन "upon admission to aholdinig" श्री श्रीदासजी गोयल ने प्रस्तुत किया और माननीय मंत्री ने उसे स्वीकार किया उसकी मंजूरी दी जावे। जो इसके पक्ष में हो हां कहे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह पास करने के सम्बन्ध में है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन की स्वीकृति दी गई है जिसको माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है।

श्री जवानसिंह—इसके विपक्ष में पूछा जावे ताकि हम 'नो' कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that sub-clause (1) of clause 18, as amended, be accepted.

श्री तनसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, एमेंडमेंट मंजूर नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्रीजी ने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री तनसिंह—मंत्रीजी ने तो इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमने तो नहीं किया है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, 'हां' तो पहले कह दिया है; आप इतना और कहला दें कि जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कह दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न है, मौजूदा हालत में तरीका यह रखा गया है कि अगर कोई संशोधन पेश हो और मंत्री उसको स्वीकार कर लेते हैं तो सिर्फ हाउस की अनुमति लेकर उसको संशोधित रूप में मान लिया जावे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी प्रेक्टिस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यहां पर यदि बहस में एमेंडमेंट हो और मंत्री उसको स्वीकार नहीं करें तो उस पर वोट लिये जावें और जिन्हें मंत्री मंजूर कर लेते हैं तो वह संशोधित रूप में हो उसको मंजूर कर लिया जाने का तरीका रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें डिफिकल्टी जो है वह यह है कि ये एमेंडमेंट गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड होते हैं और हैं। हम यही मान कर चलते हैं कि ये एमेंडमेंट गवर्नमेंट के ट्रेज़री बैंचेज़ की तरफ से ही होते हैं, दूसरों के नहीं होते। एक माननीय सदस्य ने मूव किया और उन्होंने मंजूर किया उसको। इस हालत में 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष दोनों का मत लेना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—यदि हाउस की यह सम्मति है कि यहां जैसा ऐतराज है कि इस संशोधन पर दोनों की सम्मति ली जाय तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो अमेंडमेंट है उस पर मैं सम्मति ले रहा हूँ। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदासजी गोयल ने....

श्री तनसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, श्री श्रीदासजी ने जो संशोधन रखा है वह तो श्री नाथूरामजी के अमेंडमेंट पर एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष—उसको श्री श्रीदासजी का मान लिया गया है।

श्री तनसिंह—यदि यह श्रीदासजी का है तो मेरा एतराज है।

(घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष—आप बोल चुके हैं।

श्री तनसिंह—जब तक हमारे सामने श्री श्रीदासजी का अमेंडमेंट नहीं आ जाता है तब तक बोलने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। हमारे सामने तो जो डिस्कशन हुआ वह तो श्री नाथूरामजी के संशोधन पर ही हुआ था, और नाथूरामजी के अमेंडमेंट को स्वीकार किया है। श्री श्रीदासजी ने जो अमेंडमेंट रखा है वह तो बाद की चीज़ है।

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन के प्रस्तुत होने के पहले बहस हो गई थी और यह डिमान्ड की गई थी कि श्री श्रीदासजी अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करें और उन्होंने किया। श्री श्रीदासजी बोले कि यह ठीक नहीं है। फिर मैंने यह कहा कि किसी को बोलना हो तो बोलें, पर कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा कि मैं इसको मंजूर करता हूँ। फिर इस पर वाद-विवाद हुआ कि यह बहस उचित नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज़ (१) क्लॉज़ १८ पर श्री श्रीदासजी गोयल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय?

[श्री उपाध्यक्ष]

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप इस पर डिविजन चाहते हैं ?

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य—हां ।

(मत-विभाजक-घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदासजी गोयल ने सब क्लॉज़ (१) क्लॉज़ १८ पर प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन श्री श्रीदासजी का स्वीकृत हुआ ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of information, Sir, it you. prmit me to say कि फाइनल डिसिजन हो उसके पहले मैं माननीय मंत्री महोदय और उधर बैठे मित्रों से दर्ख्वास्त करूंगा कि इस क्लॉज़ को होल्ड ओन कर लिया जाय । इस पर कोई खास सेन्टीमेंट्स हमारे नहीं हैं, फिर भी कुछ डिफिकल्टी जरूर हैं । हम लोगों को विश्वास है कि अगर रेवेन्यु मिनिस्टर होंगे तो हम उनको कविन्स जरूर करा देंगे । इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस पर मत लिये जा चुके हैं और रिज़ल्ट भी घोषित किया जा चुका है ऐसी हालत में इसको पोस्टपोन किया जा सकता है क्या ?

(अवाज 'नहीं')

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष वाले ना कह रहे थे; ना पक्ष हार गया इसका मतलब यह हुआ । इसलिये संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री नाथूरामजी मिर्धा अपने अमेंडमेंट को वापिस लेना चाहते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं अपने अमेंडमेंट को वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की क्या इनको अपना अमेंडमेंट वापिस लेने देने की इजाज़त है ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितनी दफा वापिस लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा—एक दफा ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—अब सब क्लॉज़ (२) पर श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है क्या वह स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२) ऑफ क्लॉज़ १८, एज अमेंडेड, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

Sub clause (2) of clause 18, as amended, is added to the clause.

(विराम)

सब क्लॉज़ (३)

(विराम)

जो अमेंडमेंट श्री नाथूरामजी मिर्धा ने क्लॉज़ १८ के सब क्लॉज़ (३) पर प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Page No.76

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

The Question is that sub clause (3) of clause 18 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub clause (3) of clause 18, as amended is added to the clause.

(विराम)

Now the Qustion is that clause 18, as amended, stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 18, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १९

श्री नाथूराम मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ मौजूदा कानून का है उसमें मेरे कुछ संशोधन हैं जो इस प्रकार हैं। अभी जो मौजूदा क्लॉज़ हैं उसमें (1) "Registration or attestation of leases-(1) Every lease for a period exceeding one year or from year to year or for reclaiming land and every counterpart of such a lease shall be made by a registered instrument only." इसके लिये मेरा संशोधन यह है कि इसको हटा दिया जाय और सब क्लॉज़ टू टू फोर (2 to 4) जो हैं वे एज़ सब क्लॉजेज़ वन, टू, थ्री (1, 2, 3) कर दिये जावें। इसके अलावा सब क्लॉज़ (बी) में sub-clause (1) as so re-numbered substitute the figures and brackets the Indian Registration Act, 1908 (VI of1908) after the wods, figures and brackets, sub-section (1) Indian Registration Act, 1908"

तीसरा (सी) में मेरा जो संशोधन है वह यह है:—

"For sub-clause (2) as so renumbered the following be substituted; namely, 'such officer or person may, after making such enquiry as may be prescribed attest the instrument of lease in the prescribed manner."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

यह जो मेरे तमाम संशोधन हैं वे बिल्कुल फोर्मल हैं, इसमें कोई सब्स्टेन्शियल रद्दो-बदल नहीं है, इसको लीगल ढांचे में ढालने के लिये मेरे संशोधन हैं। सैद्धान्तिक मतभेद इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये इस पर लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं। यह बिल्कुल फोर्मल नेचर का है, आशा है इसको सदन मंजूर करेगा।

"(d) sub-clause (3) as so renumbered add the words, figures and brackets '(XVI of 1908)' at the end of the sub-clause."

श्री तनसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन नं० ४१ है। यह क्लॉज़ १६ के सब क्लॉज़ (२) में है जो यह है:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or in the Indian Registration Act, 1908, the parties to a lease may, in lieu of registering the same, obtain the attestation thereto of such officer or person." मेरा संशोधन "or person" डिलीट करने का है।

इसका मतलब बजाय रजिस्ट्रेशन कराने के जो पार्टीज़ लीज़ के लिये किसी अफसर या या किसी व्यक्ति को जिसे सरकार नियुक्त करे इस काम के लिये उसके पास जाकर अटेस्टेशन करा ले। मेरा जहां तक, अफसर की नियुक्ति का प्रश्न है उसका स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा अपोइन्ट करना ठीक है लेकिन 'एनी परसन' किसी व्यक्ति को राजस्थान सरकार इस काम के लिये नियुक्त करती है तो मेरे यह समझ में नहीं आता कि 'एनी परसन' से सरकार का क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति को इस काम के लिये नियुक्त कर सकती है यह बहुत अनुचित बात है। जिस व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं और जिस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं उसको अगर रख दिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान सरकार ऐसे व्यक्ति को अटेस्टेशन के अधिकार देती है जिस पर स्वयं सरकार का भी अधिकार नहीं है। अगर सरकार का मतलब यही है कि इस 'एनी परसन' की जगह किसी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को या म्युनिसिपेलिटीज़ के चेयरमेन या मेम्बर को ऐसे अधिकार देने का है तो 'एनी परसन' से मतलब हल नहीं होता। 'एनी परसन' की जगह किसी आँथोरिटी का उल्लेख होता तो ये ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ इसमें शामिल हो सकती थीं। 'एनी परसन' रखने का मतलब किसी भी "ऐरे गेरे नत्थू खेरे" आदमी से भी लिया जा सकता है। राजस्थान सरकार ऐसे व्यक्ति को भी अपोइन्ट कर सकती है जो लीज़ के मामलों का अटेसटेशन करे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह रखने से बड़ी गड़बड़िया फैलेंगीं, वह व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना ढंग से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि 'Any person' शब्द हटा दिये जांय।

'Any person' की जगह किसी संस्था या ग्राम पंचायत को यह अधिकार देने चाहिये और 'any person' की जगह 'any authority' रख दें।

[श्री तनसिंह]

इसके साथ साथ अभी जो संशोधन रखा है उस संशोधन के विषय में भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। इस संशोधन में यह रखा गया है कि १६ ए (१) को हटा दिया जाय। इसके हटा देने से स्पष्ट मन्शा यह होती है कि जो यह चाहते हों कि उनकी लीज़ेज़ हैं रजिस्टर्ड हों तो वे रजिस्टर्ड हो सकती हैं और जो चाहते हों कि न हों वे बिना रजिस्टर्ड के भी पड़ी रहें। इसका मतलब यह है कि लीज़ रजिस्टर्ड होना आवश्यक न किया जाय। जो लीज़ रजिस्टर्ड न हों उसका सीधा मतलब यह है कि जब कभी भी वकील चाहेगा किसी केस में प्लो (plea) लेने के लिये, तो वह कह देगा कि मेरे पास रजिस्टर्ड लीज़ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बजाय टीनेन्ट या लेन्ड लोर्ड के लीज़ के झगड़े को मिटाने का हम ऐसे वकीलों को प्ली (plea) लेने का मौका देते हैं। पहले जो कानून है उसके मुताबिक हर एक लीज़ के लिये यह आवश्यक है कि वह रजिस्टर्ड हो। लेकिन अब जो क्लॉज़ रखा गया है उसके अनुसार रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। जो इस सब क्लॉज़ (२) और (३) से साफ हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिये जिस अफसर को सरकार नियुक्त करेगी उसके पास जाकर दोनों टीनेन्ट और लेन्ड लोर्ड अटेस्टेशन करवालें तो वह रजिस्ट्रेशन के तौर पर हो जायगा।

ऐसे लाखों आदमी होंगे जिनके लिये हर प्रकार को सुविधा होगी जो रजिस्ट्रेशन के लिये दी गई है। ऐसी सुविधायें रहते हुए रजिस्ट्रेशन के अटेस्टेशन के क्लॉज़ हटवाना, मैं नहीं समझता, हम इसका क्या मतलब निकालें। अगर यही मतलब निकालें कि यह इसलिये हटवाया जा रहा है कि इससे वकीलों को प्ली (plea) लेने का मौका मिले तो मेरा तो यही ख्याल है कि इससे तो केवल वकीलों को ही मदद मिलनेवाली है, काश्तकारों को इससे किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ओरिजिनल जैसा है उसे वैसा स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें क्लॉज १६ के सब क्लॉज़ (१) को डिलीट करने के लिए श्री नाथूराम मिर्धा ने एक अमेंडमेंट पेश किया है। मैं इसके विरोध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

जितनी भी लीजेज़ हैं, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट को देखिये इसमें भी लीजेज़ को डिफाइन किया है और इसमें भी रजिस्ट्रेशन लीजेज़ का जरूरी समझा गया है, जो एक वर्ष से अधिक का हो या जो ईयर टू ईयर हो।

तो इसमें सब क्लॉज़ (१), जो क्लॉज़ १६ का है वह प्रोवाइड करता है कि किन किन केसेज़ में लीजेज़ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब अगर इसको यहां से हटा दिया जाता है, तो कोई लीज़ तीन, चार, पांच या छ महीने के लिये ली गई है उसको भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो जावेगा। सब क्लॉज़ (१) को हटाये जाने से, मैं समझता हूं, कि किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत

[श्री श्यामलाल गोयल]

हो जावेगी। इसका रहना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि जहां हम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवीजन रखते हैं वहां हमें यह जरूर बताना पड़ता है कि किस चीज का रजिस्ट्रेशन हो और किस हद तक हो और किस हद तक न हो। अलावा इसके, इसको हटा देने से जो इसका एक मार्जिनल नोट रक्खा गया है कि : "Registration or attestation of leases" तो आप फर्स्ट क्लॉज़ को हटा देते हैं जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन करते हैं और मार्जिनल नोट को अमेंड नहीं करते हैं, तो यह भी बात नहीं चल सकती है। इसको हटाना चाहिये और 'Attestation of leases in lieu of registration' इस तरह एक मार्जिनल नोट बनाना चाहिये था।

तो यह जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है अगर मन्जूर भी होता है तो बिल्कुल इनकम्पलीट रहता है और मार्जिनल नोट जो इन क्लॉजेज़ में प्रोवाइड किया है उसके खिलाफ जाता है।

तो मेरा यह निवेदन करना है कि यह जो salutary provision है इसको नहीं हटाया जाना चाहिये, वरना आगे जाकर बहुत दिक्कतें पैदा होंगी।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक मार्जिनल नोट का सवाल है या जो अमेन्डमेन्ट है उन सब का मैं समर्थन करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्जिनल नोट इस एक्ट का पार्ट नहीं होता है और इसके लिए प्रोसीजर के अनुसार अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत नहीं है। यह तो अमेंडमेंट स्वीकार हो जाने के बाद उसी प्रकार से बदल दिया जावेगा : "Attestation of leases in lieu of registration."

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, श्री तनसिंहजी का जो अमेंडमेंट है वह खुद जो बात कह रहे थे उसके विरुद्ध है कि ग्राम पंचायत वगैरह के अफसर का उल्लेख कर दिया जावे तो यह इस स्टेज पर उपयुक्त नहीं होगा।

पर जो श्री मिर्धाजी ने अपना संशोधन पेश किया है उसको मैं मन्जूर करना चाहता हूं।

इसके अनुसार रूल्स प्रेस्क्राइब करने के मुतल्लिक कहा गया है। इसके लिए कभीभी किसी भी पर्सन को अपोइन्ट कर सकते हैं। सम्भव है पंचायतों को अटेस्टेशन का अधिकार दे दिया जावे। इस हालत में मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं और नाथूरामजी के अमेंडमेंट को मैं स्वीकार करता हूं।

मार्जिनल नोट को भी, श्री श्यामलालजी के सुझाव के अनुसार, ठीक कर दिया जावेगा।

श्री जवानसिंह—इसमें 'इन' शब्द दो जगह आ गया है। एक को डिलीट कर देना चाहिये। दो 'इन' रहने ठीक नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य—सुना नहीं गया।

श्री जवानसिंह—इसमें जहां पर शब्द है 'इन' उसमें डबल 'इन' हो जाता है। एक को रहने दिया जाय और दूसरे को डिलीट कर दिया जाय।

श्री भोलानाथ—ठीक है आपका सुझाव, देख लेंगे।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन के विषय में यह कहा गया कि वह नामन्जूर है। पर इसका रीज़न मैं जहां तक समझा हूं ठीक नहीं दिया गया।

मैं, अव्वल तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय शिष्टाचार के नाते ही कम से कम एक आध आर्ग्युमेन्ट, फिर वह लंगड़ा हो गया या टूटा हो; कुछ न कुछ देना चाहिये। पर बिना ऐसी किसी दलील के यह कह देना कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, मैं समझता हूं कम से कम यह उचित तो नहीं है।

श्री भोलानाथ—उस वक्त आप बाहर चले गये थे। आपने दलील सुनी नहीं, आप पंचायत का अटेसटेशन चाहते थे इस प्रश्न पर। गवर्नमेन्ट एतराज करती है इसलिए स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री तनसिंह—इसका मतलब यह है कि मेरे आर्गुमेन्ट्स का जवाब नहीं है।

यदि प्रेस्काइब करना है जैसा इसमें है कि : "as they may appoint in this behalf" यह जो दलील दी जा रही है कि हम प्रेस्काइब करेंगे तो इस पर मेरा निवेदन यह है कि गवर्नमेंट स्वयं रूल बनाने के लिए किसी न किसी को तो ऑथोराइज करेगी; तो वह किस अधिकारी को ऑथोराइज करेगी, इसका खुलासा होना जरूरी है, यह नहीं कि किसी भी 'ऐरे गैरे नत्थू खैरे' को ऑथोराइज कर दे; तो ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये। इस एक्ट के प्रोवीजन के मुताबिक तो सरकार को यह अधिकार है पूरा का पूरा कि वह किसी भी 'ऐरे गैरे नत्थू खेरे' और राह चलते व्यक्ति को ऑथोराइज़ कर सकती है। इसलिए मेरी यह दलील थी और मेरा यह सुझाव था कि गवर्नमेंट इसमें यह जिक्र कर दे कि वह किसी ऐसी लोकल ऑथोरिटी को अपोइन्ट कर दे या म्युनीसिपल ऑथोरिटी को अपोइन्ट करे। ऐसा होना चाहिये कि जो इस हल्के से वाकिफ हों और वहां के वातावरण से परिचित हों; लेकिन यह गोल-मोल शब्द रखने से यह हो सकता है कि किसी भी ऐसे आदमी को अपोइन्ट किया जा सकता है जो अपना मतलब और स्वार्थ भी हल कर सकता हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास यह एक्सक्लुज़िव पॉवर रहने से वे जो व्यक्ति ऑथोराइज़ करेंगे उसमें इस अधिकार के दुरुपयोग की भी आशंका बराबर रहती है। इसलिए "or person" शब्दों को तो अवश्य हटाया जाना चाहिये। गवर्नमेंट चाहती है तो ऑफिसर

Page No.81

[श्री तनसिंह]

भले ही रख ले और अगर सरकार 'or prson' से किसी ऐरे गैरेको नहीं रखे बल्कि ग्राम पंचायत या लोकल ओथोरिटीज़ को रक्खेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा आश्वासन अगर सरकार देने को तैयार है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा आश्वासन मिला नहीं कि ऐसे पर्सन हो रूल्स प्रेस्क्राइब करेंगे। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह बाध्य करे सरकार को कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री भोलानाथ—आपने शायद मेरे पहले के कथन का जो पिछला हिस्सा था उसे सुना नहीं आप बाहर चले गये थे।

एक अमेन्डमेंट श्री नाथूरामजी ने दिया था उसमें लिखा है :

" such officer or person may, after making such enquiry, as may be prescribed, attest the instrument of lease, in the prescribed manner "

तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में उसका प्रोसीज़र आ जावेगा। किसी को खास एतराज इसमें नहीं था, इसलिये यह अमेन्डमेंट मैंने मन्जूर कर लिया था। इसलिए आपका जो है यह संशोधन है कि कानूनी प्रेक्टिस की तरह से ये नियम प्रेस्क्राइब किये जावें। 'any person' द्वारा नहीं तो यह भावना आपकी उस संशोधन के मन्जूर कर लेने से काफी पूरी हो जाती है। यह मेरा जवाब था। आप उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिये आपने सुना नहीं।

श्री तनसिंह—अब भी आप आश्वासन देते हैं क्या !

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इससे क्या फायदा !

श्री तनसिंह—अब भी आप आश्वासन न देते हैं क्या कि लोकल ऑथोरिटीज़ रखी जायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने, क्लॉज़ १९ की सब क्लॉज़ (१) के विषय में प्रस्तुत किया उसके बारे में अब प्रश्न यह है कि क्या यह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

दूसरा संशोधन जो क्लॉज़ १९ के सब क्लॉज़ (२) के बारे में है।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने सब क्लॉज़ (२) पर प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

तीसरा संशोधन जो क्लॉज़ १९ के सब क्लॉज़ (३) पर श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ की तीनों सब क्लॉज़ेज़...

एक माननीय सदस्य—तनसिंहजी ने वापिस नहीं लिया है उसका कुछ...

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने सब क्लॉज़ (४) क्लॉज़ १९ के मुताल्लिक प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गय।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ एज़ एमेंडेड...

श्री भोलानाथ—तनसिंहजी का और ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने क्लॉज़ १९ के सब क्लॉज़ (२) पर प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

Page No.83

[श्री उपाध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

Now the Question is that Clause 19, as amended, staud patt the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 19, as amended is added to the Bill.

श्री जसवन्तसिंह—यहीं खत्म कीजिये साहब, टाइम हो गया है।

श्री भोलानाथ--एक क्लॉज़ और ले लीजिये। यह चेप्टर खत्म हो जायगा।

There is one amendment to Clause 20.

श्री उपाध्यक्ष—How much time he will take ?

एक माननीय सदस्य—दो मिनिट।

श्री जसवन्तसिंह--वह तो मिनिट ही लेंगे, लेकिन ऑपोजिशन वाले २० मिनिट से ज्यादा लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इतना कहते हैं तो आप भी मान जाइये साहब।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—You move on and then we will stop it..

खण्ड २०

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा बिल में जो क्लॉज़ २० है वह इस प्रकार है —

"Subject to the other provisions of this Act and the provisions of Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, no landholder shall take a premium for the admission of a tenant to a holding and it shall not be a condition of any tenancy that the tenant shall render any service to, or do any work for, the landholder, whether for wages or not."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

उसके बजाय मेरा यह सुझाव है कि इस क्लॉज़ को आलटुगेदर दूसरे शब्दों में रख दिया जाय और उसकी भाषा यह है —

"Subject to any other provisions of this Act, no landholder shall accept a premium for the grant of a lease or make a tenant liable to render any service to the landholder, whether for wages or otherwise and any such condition shall be void, notwithstanding any law or custom to the contrary."

यह सिर्फ मौजूदा क्लॉज़ में कहना चाहते हैं, उससे ज्यादा लीगल है और ज्यादा ठीक है। इसलिए यह क्लॉज़ इस रूप में रखा जाय।

श्री जसवन्तसिंह—डिस्कशन कल के लिए रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बहस करना चाहते हैं तो they will be allowed to do it.

(विराम)

(श्री भोलानाथ से)—Do you want to accept it ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—What happened ?

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—We want to speak on it.

श्री उपाध्यक्ष—अभी टाइम थोड़ा रह गया है। They want to consider and discuss tomorrow.

आज की कार्यवाही सदन की स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक २०-८-५४ के ८-०-० बजे प्रात: तक के लिये ११-५८ बजे स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१६ अगस्त, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

१४६२. (२६/एम. एन. क्यू.)श्री खेतसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७७—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर शेरगढ़ रोड पर जोधपुर से ५२ मील तक का जो ठेका दिया गया है वह किसको, कितने रुपये में और किन शर्तों पर दिया गया है ?

(ख) क्या बनाई जाने वाली टार रोड की चौड़ाई व डामर का प्रयोग माफिक शर्तों के हो रहा है ?

उत्तर

जोधपुर शेरगढ़ सड़क की मील ६,४ से ५३,४ तक मेटल व सीलिंग कलेक्शन का ठेका ७ भागों में विभाजित किया जाकर निम्नलिखित ठेकेदारों को दिया गया है:—

क्रमांक	भाग	नाम ठेकेदार	निश्चित दरों से नीचा या ऊपर	रकम ठेका
१.	मील ६,४ से १५ तक	श्री अब्दुलगनी	१४५ प्रतिशत ऊपर	३०६६१ रु०
२.	मील १६ से २४	श्री रामसुख	१३५ प्र०श० ऊपर	४०२४८ रु०
३.	मील २५ से ३१	श्री रामसुख	१३१ प्र०श० ऊपर	३२०४० रु०
४.	मील ३२ से ३६	श्री बुद्धाराम लाभाराम	१३५ प्र०श०	३७३०६ रु०
५.	मील ३७ से ४०	मेसर्स छोगाखां एन्ड सन्स	११६ प्र०श०	३०१४१ रु०
६.	मील ४१ से ४८,४	श्री जुम्मा	१२१ प्र०श०	२८६५५ रु०
७.	मील ४८,५ से ५३,४	श्री हाजी मोहम्मद	१३५ प्र०श०	२४६७३ रु०

इस सड़क की कुटाई । कन्सोलीडेशन का ठेका निम्न ४ भागों में विभाजित है

१	२	३	४
१. मील ६,५ से १६ तक	श्री रावतसिंह	१७५ प्र० श०	५३८३४ रु०
२. मील २० से ३१ तक	श्री अब्दुलगनी	१७५ प्र० श०	४८६३७ रु०
३. मील ३२ से ४२ तक	श्री हाजी मोहम्मद	१८७ प्र० श०	५६५५६ रु०
४. मील ४३ से ५३,४ तक	श्री हाजी मोहम्मद	१३७ प्र० श०	५३३७३ रु०

(ख) सड़क की चौड़ाई १० फीट है । टार पेंटिंग का काम भी हाजी मोहम्मद ठेकेदार को निम्न भांति दिया गया है ।

२३० प्रतिशत ऊपर पत्थर की चीपें (कलेक्शन ओफ स्टोन चिप्स) ।

१६५ प्रतिशत ऊपर दूसरे आइटम्स यानि टार पेंटिंग वगैरह ।

पेंटिग का काम कोयले के अभाव के कारण निश्चित समय से ३ महीने बाद शुरू हुआ । अभी तक सिर्फ १ मील का टुकड़ा ही हुवा है जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हुआ है ।

अब बरसात की वजह से पेंटिंग का काम बन्द है और फिर बाद बरसात अक्टूबर तक चालू किया जायगा ।